खण्ड-467, अंक-1
शुक्रवार, 19 माघ, शक संवत् 1929
(8 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राजयपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ड
उपस्थित सदस्य	ण-न
राष्ट्रीय गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न	1-3
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	3-37
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में विपक्ष (समाजवादी पार्टी) द्वारा उड़ाये गये गुब्बारों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	38
केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रति उपेक्षापूर्ण अपनाये जाने के विरोध में श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, सदस्य, विधान सभा (कांग्रेस पार्टी) द्वारा सदन की सदस्यता तथा कांग्रेस पार्टी से त्याग-पत्र	38-41
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-36 सन्, 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	41
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-37 सन्, 2007) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	41
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1, सन्, 2008) (सदन के पटल पर रखा गया)	41
सदन के पटल पर रखे गये अध्यादेशों की प्रतियां मा0 सदस्यों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	41-42
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	42
तीन माह से अधिक समय से विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पर व्यवस्था का प्रश्न ...	42-48
उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापस न प्राप्त होने की सूचना)	48
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	48
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	49
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	49-50
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध, विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	50
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	50
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	50-51
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	51
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	51
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	51-52
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	52
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	52-53
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	53
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	53
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	53-54
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	54
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	54-57

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा मण्डप, लखनऊ में पूर्वाह्न 11 बजे विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा गैस के गुब्बारे सदन में छोड़ने तथा फोड़ने की हुई ऐतिहासिक घटना की जांच गृह विभाग को सौंपे जाने के सम्बन्ध में सूचना	57
दिनांक 8 फरवरी, 2008 को विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय गैस भरे गुब्बारे सदन में छोड़ने तथा फोड़े जाने की घटना पर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत तलाशी लिये जाने तथा सचिवालय परिसर अनुरूप सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	57-58
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

---

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
18. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
19. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
20. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
21. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
22. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
23. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
24. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
26. अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
27. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
28. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
29. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
32. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
33. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
36. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदासनगर (भदोही)
42. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
43. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
44. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
45. अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
46. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
47. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
48. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
51. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
52. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
53. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
54. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
55. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
56. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
57. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
58. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
59. आर0 ए0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी

60. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
61. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
62. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
63. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
64. आसिफ, श्री हरदोई
65. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
66. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
67. इमरान मसूद, श्री सहारनपुर
68. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
69. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
70. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
71. उदयराज, श्री उन्नाव
72. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
73. उमलेश यादव, श्रीमती बदायूँ
74. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
75. उस्मानुल हक, श्री मुरादाबाद
76. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
77. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
78. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
79. कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री कानपुर देहात
80. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
81. कादिर राणा, श्री मुजफ्फरनगर
82. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
83. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
84. काशीराम, श्री रामपुर
85. कुवेर सिंह, श्री एटा
86. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
87. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
88. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
89. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
90. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
91. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
92. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
93. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
94. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
95. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
96. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
97. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
98. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
99. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
100. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
101. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
102. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
103. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
104. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
105. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
106. गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लखनऊ
107. घूराराम, श्री बलिया
108. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
109. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
110. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
111. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
112. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
113. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
114. छोटे सिंह, श्री जालौन
115. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
116. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
117. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
118. जगपाल, श्री सहारनपुर
119. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
120. जर्मारउल्ला, श्री अलीगढ़
121. जमुना निषाद, श्री गोरखपुर
122. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
123. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
124. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
125. जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
126. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली

127. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,श्री — बस्ती
128. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
129. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
130. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
131. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
132. ताहिर हुसैन सिद्दीकी,श्री — फर्रूखाबाद
133. तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
134. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
135. दद्दन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
136. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
137. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
138. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
139. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
140. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
141. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
142. दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
143. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
144. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री — झाँसी
145. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
146. दूधराम, श्री — बस्ती
147. धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
148. धनीराम वर्मा, श्री — औरैया
149. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
150. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
151. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
152. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
153. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
154. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
155. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
156. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
157. धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
158. नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
159. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
160. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
161. नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
162. नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रूखाबाद
163. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
164. नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
165. नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
166. नारायण सिंह, श्री — आगरा
167. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
168. नीरज कुशवाहा, श्री — शाहजहाँपुर
169. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
170. पशुपति, श्री — गाजीपुर
171. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
172. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
173. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
174. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
175. प्रजापालन, श्री — एटा
176. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
177. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
178. प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
179. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
180. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
181. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
182. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
183. प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
184. प्रेमलता देवी, श्रीमती — अलीगढ़
185. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
186. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
187. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
188. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती — देवरिया
189. फागू, श्री — मऊ
190. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
191. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर

192. बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
193. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
194. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
195. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
196. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
197. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
198. भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
199. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
200. भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
201. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
202. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
203. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
204. भोला, श्री — आजमगढ़
205. मंजू, श्रीमती — बलिया
206. मदन भैया, श्री — बागपत
207. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
208. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
209. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
210. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
211. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
212. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
213. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
214. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
215. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
216. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
217. महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
218. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
219. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
220. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
221. मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहाँपुर
222. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
223. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
224. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
225. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
226. मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
227. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
228. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
229. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
230. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
231. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
232. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
233. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
234. मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीर नगर
235. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
236. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
237. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
238. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
239. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
240. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
241. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
242. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
243. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
244. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदास नगर (भदोही)
245. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
246. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर — प्रतापगढ़
247. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
248. रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर
249. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
250. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
251. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
252. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
253. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
254. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर

255. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
256. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
257. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
258. राघव लखन पाल, श्री सहारनपुर
259. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
260. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
261. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
262. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
263. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
264. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
265. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
266. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
267. राजीव चन्ना, श्री मुरादाबाद
268. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
269. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
270. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
271. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
272. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
273. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
274. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
275. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
276. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
277. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
278. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
279. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
280. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
281. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
282. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
283. राम किशुन, श्री चन्दौली
284. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
285. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
286. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
287. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री कानपुर नगर
288. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
289. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
290. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
291. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
292. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
293. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
294. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
295. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
296. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
297. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
298. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
299. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
300. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबा फूलेनगर
301. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
302. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
303. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
304. लखीराम नागर, श्री मेरठ
305. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
306. लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
307. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
308. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
309. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
310. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
311. वारिस अली, श्री बहराइच
312. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
313. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
314. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
315. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्तकबीर नगर (भदोही)
316. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
317. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
318. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
319. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
320. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
321. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर

322. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
323. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
324. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
325. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
326. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
327. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
328. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
329. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
330. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
331. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
332. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
333. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
334. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
335. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
336. शहनवाज, श्री — बिजनौर
337. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
338. शिव गणेश, श्री — रायबरेली
339. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
340. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
341. शिवशंकर, श्री — बलिया
342. शीशराम, श्री — बिजनौर
343. शेखर तिवारी, श्री — औरैया
344. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
345. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
346. श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) — वाराणसी
347. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
348. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
349. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
350. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
351. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
352. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
353. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
354. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
355. संजय कपूर, श्री — रामपुर
356. संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
357. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
358. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
359. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
360. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
361. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
362. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
363. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
364. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
365. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
366. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
367. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
368. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
369. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूं
370. सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
371. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
372. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
373. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
374. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
375. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
376. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
377. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
378. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
379. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
380. सुभाष, श्री — बलिया
381. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
382. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
383. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
384. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
385. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
386. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
387. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
388. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
389. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
390. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
391. सूरजपाल ठाकुर, श्री — आगरा

392.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	398.	हरिओम, श्री	जालौन
393.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर	399.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
394.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	400.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
			401.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
395.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी	402.	रिक्त	मनोनीत
396.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर	*404.	रिक्त	हरदोई
397.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद			

*दिनांक 20 अक्टूबर, 2007 को श्री उपेन्द्र तिवारी (हरदोई) की मृत्यु के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल श्री टी0वी0 राजेस्वर

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, कृषि शिक्षा, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण को छोड़कर), आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य एवं वित्त
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात
7	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	सहकारिता
8	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
9	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
11	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज
12	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
13	श्री फागू चौहान	राजस्व

1	2	3
14	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)
15	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
16	श्री नरायन सिंह	उद्यान
17	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद
18	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
19	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
20	श्री बादशाह सिंह	श्रम
21	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा
22	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
23	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
24	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क
25	श्री कमलाकान्त गौतम	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
26	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
27	श्री अशोक कुमार	भूमि विकास एवं जल संसाधन

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	2	3
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	श्री जमुना निषाद	मत्स्य एवं सैनिक कल्याण
4	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री विनोद सिंह	पर्यटन
6	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान
7	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई
8	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
9	श्री राम हेत	निर्वाचन
10	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास
11	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास

1	2	3
12	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
13	श्री सदल प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा
14	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
15	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
16	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन
17	श्री जयवीर सिंह	नलकूप एवं लघु डाल नहर

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
3	श्रीमती विद्या चौधरी	महिला कल्याण
4	श्री राजेश त्रिपाठी	होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य
5	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ
6	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा
7	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
8	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

श्री मुलायम सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),

3-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

4-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

5-श्री भगवती प्रसाद सागर, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

6-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),

7-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

8-डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

10-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12.30 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 354

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददुदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री — हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री — झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूधराम, श्री — बस्ती
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री — औरैया
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री — हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
नारायण सिंह, श्री — आगरा
निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री — शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री — गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
प्रजापालन, श्री — एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
बिरजू राम, श्री — जौनपुर
बृजेश सीरभ, श्री — प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मंजू, श्रीमती — बलिया
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा

ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरट
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजवली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर

रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीश राम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़

संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम वन्देमातरम् होगा।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् नियमावली के नियम-19 को देख लें नियम-19(2) महामहिम राज्यपाल विधान सभा के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। आप नियमावली के नियम 19(2) को देखें इसमें है- 'राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे।' श्रीमन् कार्यसूची के अनुसार अभी आप राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ेंगे। लेकिन जब महामहिम राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण पढ़ा ही नहीं तो श्रीमन् यह तो असंवैधानिक हो गया इसको आप नहीं ले सकते हैं। श्रीमन् नियमावली के नियम के अनुरूप, क्योंकि महामहिम राज्यपाल बिना पढ़े ही वापस चले गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक शब्द उन्होंने नहीं पढ़ा, इसका मतलब वह इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी असहमति जाहिर करते हुए बहिष्कार किया तो इस असंवैधानिक अभिभाषण को आप पढ़ेंगे तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। कृपया इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे। (हंसी)

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठाया है श्रीमन् आप सचमुच में संविधान के ज्ञाता हैं और हम लोगों के संरक्षक हैं और श्रीमन् नियमावली का उल्लेख हो गया है इसलिए नियमावली के नियम 19(2) में जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाए जाने का क्रम आज की कार्यसूची में नम्बर दो पर है, तो उसके सम्बन्ध में जब व्यवस्था का प्रश्न नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठा दिया तो मेरा मानना है कि उसको आप नहीं पढ़ेंगे। मेरी प्रार्थना है मान्यवर, जब तक उनका अभिभाषण सदन में न आ जाए तब तक उसको पढ़े जाने का कोई औचित्य नहीं है और आज एक अभिनव बात हुई मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने, सरकार के विरोध में जो नारे लगाए गये, उसका मुस्कुराकर उन्होंने हृदय से स्वागत किया। पहली बार इस सदन में...

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, यह सदन हंसने के लिए है रोने के लिए नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, सदन में ऐसा दृश्य था कि महामहिम मुस्कुरा रहे थे इस विरोध पर, उन्होंने सचमुच में मान लिया कि जिन कारणों से सरकार का विरोध हो रहा है वह इतने जायज हैं कि अभिभाषण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, व्यवस्था सुन ली।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उपस्थित कर रहा हूं कि कार्यसूची के मद संख्या-2 पर जो निर्दिष्ट विषय है इस विषय को न लिया जाए। इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था आ जाए।

एक सदस्य-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं। चौधरी साहब, परम्परागत आप देखें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अब तक जो व्यवधान हुए हैं चले गए हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल पहला शब्द और अन्तिम शब्द पढ़ लेते थे तो यह मान लिया जाता था कि राज्यपाल महोदय का पूरा अभिभाषण हो गया।

प्रथम शब्द उन्होंने पढ़ा था आपने कान में सुनने वाला लगाया नहीं होगा। इसलिए आपने नहीं सुना होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् आपने भी न सुना होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारे कान की गारन्टी कैसे लेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इतनी गारन्टी ले सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी स्वस्थ हैं।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा गया है। पहला और अन्तिम शब्द पढ़ा गया है।

इसलिए चौधरी साहब और अग्रवाल साहब आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको अस्वीकार किया जाता है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष .....

(पढ़ा मान लिया जाए की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा मान लिया जाता है।

[2008 के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के प्रथम सत्र के लिए आहूत इस अधिवेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं तथा आप सबको तथा प्रदेश की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी हार्दिक कामना है कि नया वर्ष 2008 आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और सम्पन्नता से परिपूर्ण हो।

आप सभी अवगत हैं कि विधान परिषद् के हमारे प्रतिभावान माननीय सदस्य श्री पंचानन राय व विधान सभा के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी अब हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें अपने हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

आप भलीभांति जानते हैं कि मेरी सरकार का लक्ष्य 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के मार्ग पर चलकर एक मानवतावादी 'समतामूलक समाज व्यवस्था' की स्थापना करना है। इस हेतु निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पूरी तरह पाक-साफ व्यवस्था स्थापित करने दृढ़ संकल्प के साथ काम करते रहने का, मेरी सरकार का प्रयास अनवरत जारी है। मेरी सरकार द्वारा गठन से समय से ही पूरे प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण बनाने तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

'कानून द्वारा कानून का राज' स्थापित करने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है। यह खुशी की बात है कि इन सभी मामलों में प्रदेश की आम जनता काफी फर्क महसूस कर रही है। एक वर्ष से भी कम समय में मेरी सरकार ने अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में आशातीत सफलता अर्जित की है।

यह सर्वविदित है कि मेरी सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास करके उसे सफलता के शिखर पर स्थापित करते हुए 'खुशहाल और उत्तम प्रदेश' बनाना है। आप सभी सहमत होंगे कि प्रदेश के विकास के लिए बेहतर शांति-व्यवस्था के माहौल के साथ-साथ कृषि और उससे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों का प्रसार, औद्योगिक विकास, ऊर्जा की उपलब्धता तथा उत्तम सड़क व परिवहन व्यवस्था आदि की सबसे अधिक जरूरत है।

आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों के विपरीत, मेरी सरकार ने इस दिशा में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं, जो प्रदेश के विकास में आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे। इन तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तयशुदा समय सीमा के भीतर पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा, जिससे प्रदेश की आम जनता के आर्थिक विकास का सपना जल्दी से जल्दी साकार किया जा सके तथा प्रदेश के नागरिकों के जीवन में वास्तव में सुखद परिवर्तन आ सके।

आर्थिक विकास का लाभ समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये मेरी सरकार ने नई मध्यममार्गी, यथार्थवादी एवं व्यवहारिक अर्थनीति लागू करने को मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है और सरकारी नौकरियों का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। अतः पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही समाज के दबे-कुचले, पिछड़े तथा गरीब वर्गों का हित सुरक्षित रखने के लिये नई अर्थ नीति के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों एवं उद्यमों में राज्य कर्मियों की भांति आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

आप सभी सहमत होंगे कि विकास की गंगा बहाने के लिए हमारे देश के संघीय ढांचे के तहत विकास के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग नितान्त आवश्यक है। अर्थात्, कोई भी प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करने के बावजूद यदि केन्द्र सरकार का सहयोग न मिले, तो अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए मेरी सरकार का गठन होते ही हमने केन्द्र सरकार से टकराव के बजाय सहयोग का रवैय्या अपनाने का संकल्प व्यक्त किया तथा उसी रास्ते पर लगातार चलते रहने का प्रयास भी किया, ताकि विकास के मुद्दे किसी भी तरह के राजनीतिक दांव-पेंच से मुक्त रह सकें। तद्नुसार मेरी सरकार यह अपेक्षा करती है कि केन्द्र सरकार से भी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु वांछित सहयोग मिलेगा।

वांछित आर्थिक सहायता के अभाव में मेरी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यह

सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश को समुचित तौर पर विकसित एवं समृद्ध किये बिना देश की उन्नति भी संभव नहीं है।

आप सभी भली-भांति अवगत हैं कि इस समय प्रदेश के नौ जिले, जिनमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सात जिले शामिल हैं, भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। प्रदेश के पिछड़े इलाकों का विकास करने, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, सूखे से पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को कर्ज के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनेक बार विशेष पैकेज दिये जाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन आज तक हमारे एक भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

पिछले चार वर्षों से सूखे की मार झेल रही बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के लिए मैंने अपनी सरकार का गठन होते ही पहल की। सितम्बर, 2007 में प्रदेश के नौ जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए राहत कार्य शुरू कराने के लिए प्रत्येक जनपद को दो-दो करोड़ रु0 दिये गये हैं। इसके बाद कृषि निवेश अनुदान के लिए किसानों के बीच 118 करोड़ रु0 वितरित किये गये तथा साथ ही युद्ध स्तर पर जनकल्याण, राहत और विकास कार्य शुरू कराकर इन कार्यों के लिए 415 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त की गयी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने स्वयं पहल करते हुए आपदा राहत निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली धनराशि को 250 रु0 से बढ़ाकर 1,000 रु0 कर दिया और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद बढ़ी हुई दर से धनराशि देने के लिए 50 करोड़ रु0 जनपदों को अतिरिक्त दिये जाने की व्यवस्था की। मैंने अपने मंत्रि-मण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में एक दल को बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी के लिए भेजा और उच्चाधिकारियों के दलों द्वारा भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का कई बार दौरा किया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव को हर पन्द्रहवें दिन सूखा पीड़ित क्षेत्रों में किये जा रहे राहत एवं विकास कार्यों की समीक्षा करने के आदेश दिये गये हैं।

मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से मांगे गए किसी भी पैकेज पर कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त न होने पर भी मेरी सरकार ने पूरे बुन्देलखण्ड को सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से ही 1,600 करोड़ रु0 की एक अभिनव कार्य योजना तैयार की है।

अन्त में मुझे यह भी कहना है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना मेरी सरकार का तरीका नहीं है। इसलिए मेरी सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद नयी-नयी पहल करके विकास की गाड़ी को पटरी पर लाकर उसे गतिमान रखना चाहती है। मेरी सरकार उम्मीद करती है कि प्रदेश व देशहित में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की आवश्यकतायें समझते हुए वांछित सहयोग प्रदान करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश में विकास की गति को एक नया एवं अविस्मरणीय आयाम दिया जा सके।

1-गृह, गोपन एवं कारागार विभाग

प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की इच्छा एवं हित को ध्यान में रखते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्मित करना है। विगत वर्ष में पुलिस के समक्ष कानून एवं व्यवस्था की कई समस्यायें आईं, जिन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विभिन्न अवसरों पर व्यापक सुरक्षात्मक उपाय किये गये, जिसके कारण प्रदेश में पूर्ण शान्ति एवं व्यवस्था बनी रही। इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्यौहारों व अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राओं के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों एवं प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया, परन्तु समुचित व्यवस्था के कारण सभी कार्यक्रम शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए।

प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति संवेदनशील होते हुए भी सम्यक पुलिस व्यवस्था होने के कारण नियंत्रण में रही। कतिपय साम्प्रदायिक तत्वों तथा आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रदेश की शान्ति एवं व्यवस्था को प्रभावित करने की कुचेष्टा की गयी किन्तु व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध एवं सक्रियता के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके।

प्रदेश के सभी धर्मों के प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ अर्द्ध कुम्भ मेले को भी सकुशल कराने में सफलता प्राप्त की गयी। साथ ही साथ उ0प्र0 विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2007 एवं उप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया। पुलिस की सजगता एवं सतर्कता से अन्य कोई बड़ी जातिगत तनाव या हिंसा की घटना घटित नहीं हुई।

प्रदेश के कतिपय क्षेत्र आंशिक रूप से नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था की गयी है।

पुलिस बल द्वारा बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में आतंक का पर्याय बने दुर्दान्त अपराधी ददुआ को मार कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त 81 अपराधी मारे गये तथा ददुआ के अतिरिक्त सुनील कोल उर्फ संजय कोल, राधे उर्फ राधे श्याम व अंगद उर्फ सुग्रीव का भी अन्त पुलिस बल की प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप किया गया।

प्रदेश में बढ़ रही आतंकवादी व अपराधिक गतिविधियों तथा अपराधियों द्वारा नये-नये प्रकार के अस्त्र-शस्त्र व विधाओं का प्रयोग अपराध में किये जाने के कारण अपराधियों से मिल रही चुनौती का सामना करने हेतु पुलिस बल के आधुनिर्काकरण की योजना प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत भवन, उपकरणों एवं वाहनों के क्रय हेतु धनराशि रु0 5,408.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में घोटालों/अनियमितताओं की जांच हेतु विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया है, इसके द्वारा मुख्य रूप से कई जनपदों में खाद्यान्न घोटालों की जांच/विवेचना की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में नेपाल से माओवादियों व राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। आई0एस0आई0 की गतिविधियों की रोकथाम हेतु व्यापक सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा जनपद वाराणसी एवं जनपद सहारनपुर में दो व्यक्तियों को भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। जनपद वाराणसी, फैजाबाद एवं लखनऊ के कचहरी परिसरों में श्रृंखलाबद्ध रूप से बम विस्फोट की घटनायें हुई, परन्तु पुलिस विभाग की सक्रियता के कारण आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया गया है। आतंकवाद से निपटने के लिये अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अभिसूचना का अलग संवर्ग गठित किया गया है। संगठित अपराधों की रोकथाम के लिये मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम-2007 (यू0पी0कोका) प्रस्तुत किया है।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की तुलना में कुल भा0द0वि0 के अन्तर्गत शेष प्रमुख अपराध शीर्षकों में कमी आयी है। डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 43.3 प्रतिशत, हत्या में 19.1 प्रतिशत, बलवा में 20.7 प्रतिशत, गृह भेदन में 11 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 25 प्रतिशत, वाहन चोरी में 12.6 प्रतिशत, कुल चोरी में 13.5 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण में 42.3 प्रतिशत, अन्य अपहरण में 3.3 प्रतिशत, दहेज हत्या में 5.7 प्रतिशत तथा बलात्कार में 13.3 प्रतिशत की कमी आयी है। इस दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध शीर्षकों में भा0द0वि0 के अन्य हस्त0 अपराध एवं नागरिक सुरक्षा के शीर्षक को छोड़कर हत्या में 17.9 प्रतिशत, आगजनी में 42.9 प्रतिशत, बलात्कार में 10.5 प्रतिशत, गम्भीर चोट में 32.6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 5.4 प्रतिशत की कमी आयी है।

कारागार विहीन जनपदों में नये जिला कारागारों का निर्माण किया जा रहा है ताकि कारागारों में बन्दियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण व्याप्त ओवरक्राउडिंग की समस्या का निदान सम्भव हो सके तथा बन्दियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

सभी कारागारों में निरक्षर बन्दियों को साक्षर बनाने की दिशा में ''नया सवेरा'' एवं ''एक पढ़ाये एक'' नामक योजनाओं के अन्तर्गत विशेष प्रयास किया गया है तथा प्रत्येक सफल बन्दी को 15 दिन का परिहार भी स्वीकृत किया जाता है। प्रत्येक कारागार में 'सर्वधर्म समभाव' की भावना के दृष्टिगत विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रन्थों के चार-चार सेट तथा बन्दियों के नैतिक ज्ञानार्जन हेतु विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गयी हैं।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध माफिया एवं आतंकवादी बन्दियों की गतिविधियों पर नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा बन्दियों के आवागमन पर व्यय को बचाने हेतु विचाराधीन बन्दियों को व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय में पेशी हेतु ले जाने के स्थान पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से रिमाण्ड की व्यवस्था की गयी है।

2-गृह (राजनैतिक पेंशन) विभाग

राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव व सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को वर्तमान में रुपये 5000/- की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।

विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को चिर स्थायी बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक/स्तम्भों/प्रतिमाओं का निर्माण भी कराया जाता है।

3-बेसिक शिक्षा विभाग

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष महत्व है। छः से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। बेसिक शिक्षा के सुनियोजित कार्यक्रमों, जैसे-सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का समयबद्ध रूप से संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 तक सभी विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण तथा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 2007-2008 में असेवित बस्तियों में मानक के अनुसार 813 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 5,512 नर्वान उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु 31,535 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में 2,500 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 4,000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने हेतु विद्यालयों में लगभग 15,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2007-2008 में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत समस्त बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयीं, जिससे 242 लाख बच्चे लाभन्वित हुए तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की समस्त बालिकाओं को यूनीफार्म वितरित की गयी, जिससे लगभग 84 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुईं।

शिक्षा को अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनाये जाने हेतु परिषद के 70 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में सम्प्रति 60 हजार स्नातक प्रशिक्षित (बी0एड0, एल0टी0, डी0पी0एड0, सी0 पी0एड0, बी0पी0एड0) अभ्यर्थियों के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2007-08 में चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष 2008-09 में आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,900 शिक्षा गारन्टी केन्द्र व 5,000 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र तथा 800 आवासीय ब्रिजकोर्स व 2,000 गैर आवासीय ब्रिजकोर्स स्थापित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

4-माध्यमिक शिक्षा विभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है, जिसमें बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन "उ0प्र0 व्यावसायिक शिक्षा परिषद्" का गठन किया जाना प्रस्तावित है। कक्षा-8, 10 एवं 12 उत्तीर्ण कर ड्राप आउट होने वाले छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर रोजगारोन्मुख करना परिषद् का मुख्य उद्देश्य होगा।

माध्यमिक शिक्षा की मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप नये विद्यालयों की स्थापना में उत्पन्न वित्तीय सीमाओं को देखते हुए विभिन्न कारणों से विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों के लिए राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है।

5-उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा जन-जन तक पहुंचे इसके लिए निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को खोले जाने की नीति निर्धारित की गई है। सरकार की यह योजना है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना अधिक से अधिक हो ताकि इसका लाभ सर्वसमाज को प्राप्त हो सके।

प्रदेश के 10 राजकीय महाविद्यालय एवं 10 राज्य अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के वर्तमान स्तर में उन्नयन कर उन्हें आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों में मान्यवर, कांशीराम स्मृति शोध पीठ की स्थापना की जा रही है। विश्वविद्यालयों एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में एम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेंस-प्लेसमेन्ट सेल स्थापित की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को रोजगार सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

6-प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्रदेश में तकनीकी जनशक्ति की मांग तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अधिकाधिक तकनीकी तथा प्रबन्धकीय शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया है। पूर्व में लगायी गयी प्रतिबन्धात्मक नीतियों को बदलते हुए समस्त जनपदों में ऐसे संस्थानों को स्थापित किये जाने के लिए प्रदेश सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।

प्राविधिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन तथा उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा एवं शोध हेतु जनपद लखनऊ में मान्यवर, कांशीराम उ0 प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी तथा जनपद गौतमबुद्ध नगर में महामाया यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स की स्थापना की जा रही है। तकनीकी एवं अन्य डिग्री धारकों के सेवायोजन हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर में प्लेसमेन्ट सेल का गठन किया गया है।

कम्प्यूटर व इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की विशिष्ट शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर कांशीराम इन्जीनियरिंग कालेज ऑफ इनफारमेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जनपद आजमगढ़ एवं जनपद अम्बेडकर नगर में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज तथा महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जनपद ज्योतिबाफूलेनगर, महामायानगर (हाथरस), चन्दौली तथा गोरखपुर में एक-एक पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2008-09 में दो अन्य आई0टी0 आधारित इंजीनियरिंग कालेज तथा 12 राजकीय आई0टी0 पॉलीटेक्निक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2008-09 में तीन नक्सल प्रभावित जनपदों यथा मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली में एक-एक पॉलीटेक्निक तथा प्रदेश के पॉलीटेक्निक विहीन जनपदों में भी एक-एक पॉलीटेक्निक की स्थापना की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

7-कृषि विभाग

वर्ष 2008-09 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 497.07 लाख मी0टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 12.11 लाख मी0टन रखा गया है। वर्ष 2007-08 में 14,94,314 किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों को उपलब्ध भी कराये जा चुके हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादक बनाने की दृष्टि से 11वीं पंचवर्षीय योजना में बहुआयामी 'किसान हित योजना' क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से पांच वर्षों में सात लाख हे0 भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लाभार्थी प्रमुख रूप से लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक, जिनमें भू-आवंटी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो भूमि आवंटन के पात्र है, उनको भूमि आवंटन के उपरान्त इस योजना में शामिल किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पड़ने वाले सूखे के विपरीत प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'वर्षा जल संचयन तथा जल प्रबन्धन' का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

8-कृषि शिक्षा

प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 300 करोड़ रु0 का अनन्तिम परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2008-09 में नये विषयों, यथा-पेरी अरबन एग्रीकल्चर, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन, सेरीकल्चर तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, पैरावेट्स आदि पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत बेसिक साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, गृह विज्ञान, औद्यानिकी, इनफारमेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी तथा फूड प्रोसेसिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेरी टेक्नोलॉजी आदि के नये महाविद्यालयों तथा शोध केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

9-दुग्ध विकास विभाग

किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने और दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्राम स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं में सुधार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना सभी 70 जिलों में चलाई जा रही है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'गोकुल पुरस्कार योजना' चलाई जा रही है।

10-उद्यान विभाग

प्रदेश में औद्यानिक फसलों, यथा फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सगन्ध फसलें, मशरूम एवं शहद के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। इनके माध्यम से जहां प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि होगी, वहीं इन फसलों के उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के निर्यात से प्रदेश की आय में भी वृद्धि होगी। राज्य पोषित सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शेष 30 जनपदों में औद्यानिक विकास के समान कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2008-09 में सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्यानिक विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु राज्य एवं जिला सेक्टर के तहत औद्यानिक विकास, औद्यानिक फसलों हेतु बीमा योजना, औद्यानिक डाटाबेस सृजन योजना, केन्द्र पोषित राज्य औद्यानिक मिशन तथा माइक्रो इरीगेशन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जायेंगी।

11-पशुपालन विभाग

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन की 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2008-2009 में प्रदेश में पशुचिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 15,000 पशुओं पर 1 पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी है तथा 1,455 नये पशुचिकित्सालयों की आवश्यकता की पूर्ति की जानी होगी।

वर्ष 2008-09 में दूध, अण्डा, मांस एवं ऊन की उत्पादकता में 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

पशुपालकों को आवश्कताओं के अनुरूप उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक स्तर पर समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिससे समाज के निर्बल वर्गों का आर्थिक उत्थान तथा पशुधन उत्पाद आधारित ग्रामीण उद्योगों का विकास सुनिश्चित हो एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके।

12-गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। चीनी, गुड़, खाण्डसारी उद्योग के साथ-साथ, शीरा, खोई तथा इस पर आधारित अनेक बड़े छोटे उद्योग के कारण जहां करोड़ों

लोगों को रोजी रोटी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ने की अति महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में गन्ने की वर्तमान गन्ना उत्पादकता 59.59 टन प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 70 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना क्षेत्रफल 27 लाख हेक्टेयर, गन्ना उत्पादन 1,890 लाख टन, चीनी उत्पादन 119.07 लाख टन तथा चीनी परता 10.30 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक चीनी परतायुक्त गन्ना प्रजातियों के विकास के लिए गन्ना शोध केन्द्रों से नई किस्म की गन्ना प्रजातियां विकसित कर किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है।

गत वर्ष प्रदेश में जहां 133 चीनी मिलों में पेराई हुयी थी, वर्तमान पेराई सत्र में कुल 142 मिलों में गन्ना पेराई का कार्य होगा। किसानों के हित में चीनी उत्पादन के साथ-साथ गन्ने पर आधारित अन्य उद्योग जैसे सहविद्युत उत्पादन, पावर अल्कोहल तथा जैविक खाद उत्पादन के लिए "शुगर काम्पलेक्स" स्थापित करने पर भी बल दिया जा रहा है।

प्रथम बार राजस्व खतौनी अभिलेखों से किसानों के गन्ना रकबे की जांच कराकर वास्तविक गन्ना किसानों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गयी है। बिचौलियों एवं गन्ना माफियाओं की पहचान कराकर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

किसानों का गन्ना कम न तौला जाय, इसके लिए भारी जुर्माने की व्यवस्था हेतु कानून में संशोधन किया गया है।

किसानों का और अधिक गन्ना खरीद कर पेरा जा सके तथा पेराई क्षमता में वृद्धि व सह-उद्योग लगाकर उनको भी खुशहाली की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाय, इसी उद्देश्य से राज्य चीनी निगम व सहकारी चीनी मिलों के निजीकरण व अन्तराल की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है।

13-मत्स्य विभाग

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन के स्तर को और अधिक बढ़ाये जाने हेतु योजनायें तैयार की गयी हैं। हरित व श्वेत क्रान्ति के बाद नील क्रान्ति को विशेष गति दी जा रही है ताकि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेशवासियों को उपभोग हेतु अधिक मछली उपलब्ध हो सके एवं कुपोषण की समस्या का समाधान सम्भव हो सके।

वर्ष 2007-08 में 12,000 हे0 अतिरिक्त जल क्षेत्र मत्स्यपालन के अन्तर्गत लाने तथा 12,000 मत्स्यपालकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2007-08 में 119.50 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 109 करोड़ मत्स्य बीज वितरित हुआ है। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ सहकारी समितियों का गठन, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना तथा मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है।

14-कृषि विविधीकरण परियोजना

सरकार ने रु0 869 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) के द्वितीय चरण को किसानों के हित में प्रदेश के अपने संसाधनों से वर्ष 2007-2012 तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। परियोजना मुख्यतः प्रदेश के 38 जनपदों (प्रथम चरण में आच्छादित 32 जनपदों को छोड़कर-जिनमें भी मत्स्य पालन व विपणन जैसी नई गतिविधियां संचालित की जायेंगी) में संचालित की जायेंगी जिसमें मुख्यतः लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोग, मत्स्य पालक एवं महिलायें लाभान्वित होंगी। परियोजना के 05 वर्ष के कार्यकाल में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 57 लाख, अनुमानित रोजगार सृजन लगभग 22 करोड़ श्रम दिवस तथा निजी पूंजी निवेश रु0 302 करोड़ होने की सम्भावना है।

15-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

आलू उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है परन्तु आलू उत्पाद के सापेक्ष विपणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदेश को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने हेतु 'उत्तर प्रदेश पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसाइटी' का गठन किया गया है। इस वर्ष श्रीलंका, मॉरीशस, दुबई एवं कुवैत को 800 टन आलू का निर्यात किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के चयनित ग्रामों में मण्डी परिषद् द्वारा रु0 150 करोड़ की लागत से सम्पर्क मार्गों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ में एग्री मार्केटिंग ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद की मुख्य मण्डी में एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस हेतु एक-एक किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक मण्डी समिति में इलेक्ट्रॉनिक संकेतक स्थापित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में कृषि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु 12 एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। वर्तमान में स्थापित 12 प्रयोगशालाओं में से लखनऊ प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत किया गया है। मेरठ प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

16-रेशम विकास

प्रदेश के सर्वोत्तम रेशम कोया उत्पादकों, रेशम धागा उत्पादकों एवं रेशम बुनकरों की उत्पादकता को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 से माननीय कांशीराम रेशम उत्पादकता पुरस्कार योजना लागू की गई है। कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य दिये जाने हेतु कोया बाजार संचालन शुल्क घटाकर एक प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

17-सिंचाई विभाग

प्रदेश में 72,450 किमी0 नहरों, 28,366 राजकीय नलकूपों, 243 लघु डाल नहरों, 28 वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों एवं 67 जलाशय पोषित प्रणालियों से लगभग 119 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित है। अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन हेतु निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने पर बल दिया जा रहा है साथ ही पूर्व सृजित सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित कर उसका पूर्ण उपयोग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस दृष्टिकोण से गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना, हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना जैसी परियोजनाएं कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2008-09 में भी नहरों की सफाई हेतु जनसहभागिता के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना प्रस्तातिव हैं बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के अन्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था में सुधार की परियोजनाएं लागू की गयी हैं, जिनको वर्ष 2008-09 में और बड़े पैमाने पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण/सुधार की कार्यवाही गतिमान है, जिसे वर्ष 2008-09 में विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ एवं जल-प्लावन से लगभग 73.06 लाख हे0 क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसमें से लगभग 58.42 लाख हे0 क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

18-लघु सिंचाई विभाग

निःशुल्क बोरिंग व पम्पसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः रु0 3,000 एवं रु0 4,000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को रु0 6,000 का अनुदान बोरिंग निर्माण पर देय है।

प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में गहरे नलकूप निर्माण की योजना भी चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत हैवी रिंग मशीन द्वारा निर्मित नलकूप पर लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 1.00 लाख) अनुदान देय है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु 2.02 लाख निःशुल्क बोरिंग, 2,400 गहरी बोरिंग, 4,706 मध्यम गहरी बोरिंग, 192 इनवेल बोरिंग, 400 ब्लास्टकूप निर्माण/गहरा करना, 1,000 भूस्तरीय पम्पसेट, 100 पातालतोड़ कूप, नई योजना डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत 400 गहरे नलकूप निर्माण (एस0सी0पी0) व डा0 अम्बेडकर सामुदायिक नलकूप योजना के

अन्तर्गत 200 गहरे नलकूप निर्माण (सामान्य) एवं 88 चेक डैम निर्माण कराकर 4.23 लाख हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है।

19-भू-गर्भ जल विभाग

वर्ष 2008-09 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित 6,410 निरीक्षणकूप/पीजोमीटर नेटवर्क तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,130 निरीक्षण कूप/पीजोमीटर पर जल स्तर मापन, भूजल स्तर मापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1,590 तथा शहरी क्षेत्र में 550 पीजोमीटर का निर्माण, प्रदेश के 70 जनपदों के 820 विकास खण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधन का पुर्नआंकलन, अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में माइक्रो स्टडी, 820 भूजल नमूनों के भूजल गुणवत्ता का आंकलन, नलकूपों के निर्माण, सर्वे एवं अनुश्रवण सम्बन्धी आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति का कार्य प्रस्तावित है।

20-सहकारिता विभाग

सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रमुखतः किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण एवं सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कृषि निवेश यथा-उर्वरक, उन्नतिशील बीज तथा कीटनाशक दवाओं आदि का वितरण किया जाता है। उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि एवं कृषकों की अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था भी की जाती है।

वर्ष 2007-08 में कृषकों को 6 प्रतिशत की दर पर अल्पावधि फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु रु0 66.60 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

पीक सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता बनाये रखने की दृष्टि से पी0सी0एफ0 के माध्यम से उर्वरकों के ऑफ सीजन अग्रिम भण्डारण हेतु रु0 15.44 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2008-09 में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लिये रु0 2,508.00 करोड़, दीर्घकालीन ऋण वितरण के लिये रु0 550.00 करोड़ एवं उर्वरक वितरण हेतु 38.30 लाख मी0 टन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

लक्ष्यों की पूर्ति/क्रियान्वयन की दृष्टि से सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 में यथोचित संशोधन किया जा चुका है।

21-ऊर्जा विभाग

विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है, जिसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 के अन्त तक राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रदेश को पहली बार चेंदीपाड़ा कोल ब्लाक का आवंटन किया गया है जिससे लगभग 3,000 मेगावाट क्षमता के

विद्युत गृह स्थापित किए जा सकेंगे। विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी के लिए नई पारेषण क्षमता का सृजन तथा वर्तमान क्षमता के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1,500 सर्किट कि0मी0 की पारेषण लाइनों के अतिरिक्त विभिन्न क्षमता के 38 उप केन्द्रों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कुल 3,800 ग्राम सभाओं को चयनित करते हुए इन ग्रामों में विद्युतीकरण सम्बन्धी अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत के कार्यों को पूर्ण कराकर संतृप्त किया जायेगा। समस्त अविद्युतीकरण राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश के विद्युतीकृत ग्रामों के समस्त अविद्युतीकरण मजरों का विद्युतीकरण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके कराया जायेगा।

22-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

विद्युत के पारम्परिक उत्पादन के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को भी पर्याप्त बल प्रदान किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जा रहा है।

चीनी मिलों में खोई पर आधारित सह-उत्पादन की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 600 मेगावाट क्षमता की बगाज़ बेस्ड को-जनरेशन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। छोटे उद्योगों की ऊर्जा की पूर्ति हेतु बायोमास गैसीफायर संयत्रों की अधिक से अधिक स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं।

निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कैनाल फॉल पर आधारित लघुजल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कराने हेतु नीति विचाराधीन है, जिसके माध्यम से आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र के सहयोग से लघुजल विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा सकेंगी।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करते हुए विद्युतीकरण/प्रकाशीकरण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सामान्य ग्रामों के साथ-साथ अम्बेडकर ग्रामों एवं नक्सल प्रभावित ग्रामों को भी सम्मिलित किया गया है।

23-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

701 निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण, सामान्य योजना के अन्तर्गत 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण, विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 168 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन संयुक्त चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भी बजट में व्यवस्था है और नवसृजित जनपद मुख्यालयों, यथा-संत कबीर नगर, श्रावस्ती, औरैया, बलरामपुर एवं संत रविदास नगर में इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय निर्माण की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है।

ट्रॉमा एवं मास कैजुयल्टी प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत पांच ट्रॉमा सेन्टर सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी जनपदों में खोले जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। रोड साइड एक्सीडेंटस के उपचार की व्यवस्था के लिये ये ट्रॉमा सेन्टर नेशनल हाईवे पर खोले जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के 8 से 14 वर्ष तक के 1.22 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण कराना भी प्रस्तावित है।

गोरखपुर जनपद में जे0ई0 रोग नियंत्रण हेतु सब-ऑफिस की स्थापना की जा रही है तथा गोरखपुर मेडिकल कालेज को जे0ई0 रोगियों के उपचार हेतु 50 लाख रुपये की औषधियां दी जायेंगी।

वर्ष 2010 तक प्रदेश में मलेरिया, फाईलेरिया तथा कालाजार रोगों पर पूर्ण नियंत्रण तथा जे0ई0 डेंगू रोग से होने वाली मृत्यु को 50 प्रतिशत कम किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी का निराकरण करने हेतु इस वर्ष रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से नियमित चयन कराकर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

मातृ मृत्यु दर के वर्तमान स्तर 517 प्रति लाख जीवित जन्म से घटाकर 258 तक लाना, शिशु मृत्यु दर के वर्तमान स्तर 73 हजार जीवित जन्म से घटाकर 36 तक लाना व सकल प्रजनन दर 3.8 से घटाकर 2.8 तक लाकर जनसंख्या स्थिरीकरण के स्तर को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।

बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ, प्रदेश से पोलियो को समाप्त करने हेतु विगत 12 वर्ष से चल रहे प्रयासों को और अधिक गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

24-चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रदेश के असेवित मण्डलों तथा असेवित क्षेत्रों में राजकीय/निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0सी0आई0 के मानक पूरे करने के साथ-साथ उनका सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है। इन सभी मेडिकल कालेजों में अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की कार्यवाही भी विचाराधीन है। कैंसर के उपचार की सुविधा आगरा एवं झांसी मेडिकल कालेज में प्रारम्भ की जायेगी। जे0के0 कैंसर

इंस्टीट्यूट कानपुर में लीनियर-एक्सीलेटर एवं अन्य आधुनिक उपकरण लगाकर उसे उच्चीकृत किया जाएगा।

पूर्वांचल में प्रतिवर्ष वर्षाकाल में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से काफी जनहानि होती है। इसे रोकने के लिए बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में शोध केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

कानपुर मेडिकल कालेज में स्टेम-सेल के शोध की स्थापना की जा रही है।

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मानक के अनुसार उपकरण आदि की व्यवस्था तथा जनपद गोरखपुर व जनपद अलीगढ़ में दो नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना आदि विभाग की प्रमुख योजनायें हैं।

25-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। उद्योगों के विकास हेतु सुनिश्चित ढंग से नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास एवं निवेश का स्वस्थ वातावरण बनने के लिए आवश्यक है कि उद्यमियों को प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हो। अतएव औद्योगिक वातावरण को दूषित करने वाली अवांछनीय एवं अपराधिक गतिविधियों पर कानून एवं व्यवस्था का कठोरता से अनुपालन कराते हुए विराम लगाया जायेगा।

अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित विकास की दृष्टि से मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक विभाग ''अवस्थापना विकास विभाग'' का गठन किया गया है साथ ही अवस्थापना के विकास के लिए जो पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं वे हैं कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरुत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आठ लेन का ताज एक्सप्रेस-वे की परियोजना तैयार की गई है।

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रदेश की पश्चिमी सीमा व पूर्वी सीमा को जोड़ने वाली कोई सीधी सड़क नहीं है जिसके कारण एक ओर से दूसरी ओर आने जाने में काफी समय लगता है। अतः एक ऐसी परियोजना की संकल्पना की गयी जिसमें गंगा के बांए तट पर निजी क्षेत्र की सहभागिता से बंधे बनाकर उन पर प्रवेश नियंत्रित आठ लेन के एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाए जिससे बाढ़ को नियंत्रित करते हुए सेवित जिलों में औद्योगिक विकास को तीव्र गति मिल सके तथा पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं के बीच की यात्रा में लगने वाले समय को काफी कम किया जा सके। इससे

प्रदेश में पर्यटन, औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पी0पी0पी0) पर आधारित सबसे बड़ी परियोजना होगी तथा इसमें शासन द्वारा कोई भी धनराशि अपने स्रोतों से वहन नहीं की जाएगी। इस परियोजना से विस्थापित तथा प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को उपयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समुचित सुविधा दिए जाने हेतु एक व्यापक पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति (आर0एण्ड आर0 पालिसी) तैयार की गयी है। इस नीति के तहत प्रभावित परिवारों को आवास संबंधी सुविधाएं, रोजगार हेतु प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन की सुविधाएं, रोजगार अथवा रोजगार के एवज में कुछ सुविधाएं एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध होंगी। राज्य मार्ग प्रभावित परिवारों को प्रतिकर के अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान भी अनुमन्य होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

एस0ई0जेड0 नीति को संशोधित करते हुए उ0 प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति-2007 तैयार की गयी है, जिसके तहत डेवलपर के चयन हेतु पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्द्धा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब किसान की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।

सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता से गीडा में टैक्सटाइल पार्क परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) का गठन किया गया है जिसके फलस्वरूप लखनऊ-कानपुर राजमार्ग के किनारे इन्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करके औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे लोगों को रोजगार के नये अवसर भी मिल सकेंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में विश्वस्तरीय गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जा चुका है।

नोएडा तथा दिल्ली के मध्य मैट्रो रेल की स्थापना हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

26-लघु उद्योग विभाग

वर्ष 2008-09 हेतु 33,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिनके माध्यम से 1,30,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षित युवक/युवतियों को संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त कराते हुए 83,625 प्रार्थना-पत्र बैंकों को भेजे गये हैं। इनमें से 44,527 प्रार्थना-पत्रों पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है तथा 35,224 प्रार्थना-पत्रों पर ऋण वितरण किया गया है, जिसके

फलस्वरूप 88,861 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2008-09 में भी 51,500 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु 14 जनपदों के 14 वृहद औद्योगिक आस्थानों में सड़क आदि के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 57 जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति सबप्लान/जनजाति सबप्लान के अन्तर्गत 2,298 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु योजना संचालित की गयी है। वर्ष 2008-09 में लघु उद्योगों की स्थापना एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 2 लाख 33 हजार नये रोजगार सृजित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

27-हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग

हथकरघा उद्योग प्रदेश का एक बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रित कुटीर उद्योग है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6.6 लाख बुनकर एवं 2.24 लाख करघे लगे हुए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार सृजन की विशेष प्राथमिकता निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2008-09 में 30 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 61 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुनकरों के समग्र विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में एकीकृत हथकरघा विकास योजना प्रारम्भ की गई है। हथकरघा समूह के अन्तर्गत राज्य हथकरघा निगम, एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी एवं नेशनल हैण्डलूम आर्गनाइजेशन को योजनान्तर्गत विपणन प्रोत्साहन एवं हथकरघा समूह के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता दी जायेगी। बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड की सहायता से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत तीन लाख बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

28-ग्रामोद्योग विभाग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2008-09 में 6,500 नई ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिससे 52,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की भी 1,100 इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन योजना (मार्जिन मनी) के अन्तर्गत 2008-09 हेतु 2,200 इकाईयों की स्थापना से 39,600 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु 280 नयी इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रमाणित खादी की संस्था/समितियों द्वारा की गयी खादी बिक्री पर वर्ष 2008-09 में 10 प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लगभग 2.00 लाख से अधिक कतकर एवं बुनकर लाभान्वित होंगे।

29-श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेशोन्मुखी विकास वर्तमान लोकप्रिय सरकार के लक्ष्यों में से एक है, जिसके अनुरूप प्रदेश का श्रम विभाग सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच प्रभावी सामन्जस्य स्थापित कर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने और श्रमिक हितों के संरक्षण का कार्य कर रहा है। शासन द्वारा अगस्त, 2007 में कृषि एवं आनुषांगिक प्रक्रियाओं के नियोजनों में मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर रु0 100 प्रतिदिन या रु0 2,600 प्रतिमाह की जा चुकी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चरणबद्ध रूप से "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा परियोजनाओं को लागू करने का कार्यक्रम है। वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में यह योजना लागू करने का लक्ष्य है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रदेश में 124 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों तथा 15 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों के माध्यम से बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

उद्योगों के समन्वय एवं सहभागिता द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से सेण्टर आफ एक्सीलेंस योजना प्रदेश के 17 संस्थानों में संचालित हैं तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (पी0पी0पी0) योजना के अन्तर्गत 30 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण का प्रस्ताव है।

30-राजस्व विभाग

भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु ग्राम समाज की कृषि योग्य तथा सीलिंग में घोषित अतिरिक्त भूमि का आवंटन ऐसे परिवारों को जिनके पास आवास हेतु पर्याप्त भूमि नहीं है, उन्हें 'आवास स्थल आवंटन योजना' के अन्तर्गत आवास स्थल का आवंटन, मत्स्य पालन हेतु तालाब-पोखरों तथा कुम्हारी कला/मूर्ति कला के लिए मिट्टी निकालने हेतु क्षेत्रों का आवंटन, वृक्षारोपण हेतु भूमि के पट्टे देकर निर्बल वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य संचालित किया जा रहा है।

अतिरिक्त सीलिंग भूमि आवंटन की योजना के अन्तर्गत 989 एकड़ भूमि 1,380 आवंटियों को वितरित की जा चुकी है जिसमें से 656 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवंटियों को वितरित की गयी है।

सीलिंग भूमि आवंटियों को आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खाद व बीज हेतु रु0 1,000 प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

तहसीलों द्वारा कृषकों को उनकी मांग पर 15 रुपये की रकम लेकर कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रतिलिपियां निर्गत की जा रही हैं।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 12 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के खातेदार/सहखातेदार के रूप में अंकित समस्त खातेदार कृषकों को अप्राकृतिक मृत्यु होने एवं दुर्घटना के कारण शारीरिक क्षति होने पर बीमे की धनराशि योजना के अनुसार उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार को अपने बीमे के लिए कोई भी धनराशि नहीं देनी है।

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है तथा प्रत्येक वर्ष अनेक आपदाओं से फसलों एवं जानमाल की क्षति होती है। चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के 20 जनपद बाढ़ एवं 9 जनपद सूखा से प्रभावित रहे।

चालू वर्ष में भयंकर बाढ़ एवं सूखे की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनपदों को कुल धनराशि रु0 710.44 करोड़ आवंटित किया गया है। बाढ़ प्रभावित जनपदों को आपदा राहत निधि से 5,248.65 करोड़ रु0 तथा सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर एवं मिर्जापुर मण्डल के जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र अर्थात कुल 9 जनपदों को धनराशि रु0 38,702.77 लाख आवंटित की गई है। मुख्य देयों की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2008 तक स्थगित करते हुए सूखा प्रभावित जनपदों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। सूखे से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमन्य न्यूनतम धनराशि रु0 250 को बढ़ाकर रु0 1,000 कर दिया गया है।

31-वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर प्रदेश के राजस्व संग्रह का महत्वपूर्ण स्रोत है। विभाग का महत्वपूर्ण कार्य राजस्व संग्रह के साथ-साथ करापवंचन की प्रभावी रोकथाम करना है। दिनांक 1-1-2008 से उत्तर प्रदेश में व्यापार-कर के स्थान पर वैट प्रणाली लागू हो गयी है। वैट के अन्तर्गत कर की दरें 0, 1, 4 व 12.5 प्रतिशत रखी गयी है। दैनिक उपभोग की वस्तुयें या तो करमुक्त कर दी गयी हैं या कर की दर 4 प्रतिशत रखी गयी है। वैट में समस्त कर निर्धारण स्वतः होंगे। राज्य कर परिषद् के गठन की व्यवस्था है। व्यापारियों के विरुद्ध अभियोजन के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया हैं यह व्यवस्था केवल उत्तर प्रदेश में है। रिफण्ड सीधे ट्रेजरी से व्यापारियों के खाते में हस्तानान्तरित किया जायेगा। पंजीयन की सीमा 2 या 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी है। छोटे व्यापारियों को वैट से बाहर रखा गया है। विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए सेटिलमेंट कमीशन (निपटारा आयोग) स्थापित करने की व्यवस्था है। बड़ी कम्पनियों के वादों का निस्तारण करने के लिए कारपोरेट सर्किल गठित किये जा रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया है, जहां पर एकीकृत पंजीयन प्रकोष्ठ एवं व्यापारी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी

है। इससे व्यापारियों को अलग-अलग कार्यालयों में न जाकर एक ही कार्यालय में प्रपत्र आदि देने में सुविधा होगी। इस कार्य हेतु पूरे प्रदेश में 110 पंजीयन प्रकोष्ठ संचालित हैं।

32-ग्राम्य विकास विभाग

बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। स्वतः रोजगार के सृजन में संगठनात्मक लाभ मिल सके, इस दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों के गठन की अवधारणा पर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है एवं अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु विशेष परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को वर्ष में कम से कम 100 दिवसों का रोजगार देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2008-09 में यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित होंगी। इन्दिरा आवास योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महामाया आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में लगभग तीन लाख आवास निर्मित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2008-09 में 1,75,000 नये हैण्ड पम्प एवं 65,000 री-बोर हैण्डपम्पों का कार्य प्रस्तावित है। उक्त के साथ-साथ 1,500 गुणता प्रभावित बस्तियों के आच्छादन एवं 500 सामान्य बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किये जाने का कार्य भी प्रस्तावित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चिन्हित कार्यों को पूर्ण कराने के सघन प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा, घरेलू ईंधन व प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिये बायोगैस कार्यक्रम संचालित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 1,341 बस्तियों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा। इस योजना के माध्यम से योजनारम्भ से 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल 8,420 बस्तियों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये मेरी सरकार ने 'स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की है। पहले चरण में इसे 14 जिलों में लागू किया गया है और अगले चार वर्षों में प्रदेश के सभी 70 जनपदों में लागू किया जायेगा।

33-डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग

डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जो विकास कार्य अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य हों, उन्हें 31 दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष चयनित 19,176 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 17,713 ग्रामों को 31 दिसम्बर, 2007 तक सभी 11 कार्यक्रमों से संतृप्त कराया गया है तथा अवशेष 1,463 ग्रामों को संतृप्त कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ग्राम

सभाओं को चयनित कर उन्हें चरणबद्ध एवं समयबद्ध रूप से पांच चरणों में संतृप्त किया जायेगा। वर्ष 2007-08 हेतु 1,890 ग्राम सभाएं चयनित की गयी हैं जिन्हें 31 मार्च, 2008 तक योजना के 13 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नक्सल प्रभावित जनपदों में गृह विभाग द्वारा चिन्हित किये गये कुल 731 ग्रामों को अवस्थापना सुविधाओं, जनसुविधा कार्यक्रमों, रोजगारपरक कार्यक्रमों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त कराया जा रहा है।

34-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निर्माण कार्यों को सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में 1,380 भवनों, 2,284 पुलियों एवं 5,257.70 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों (मिट्टी, खड़ंजा, इण्टर कोट, पेन्टिंग) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। वर्ष 2007-08 में सामान्य योजना के अन्तर्गत 689 भवनों, 685 पुलियों एवं 1,746.8 किमी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

35-पंचायती राज विभाग

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जनता का शहरों की ओर पलायन रुक सके।

36-नगर विकास विभाग

प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20.78 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, जिसमें 627 स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। नगरों के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, सफाई एवं सुधार कार्य तथा नदियों को स्वच्छ कर पुनः जीवनदायी बनाये जाने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

जे0एल0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों, यथा-लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एवं मथुरा को चयनित किया गया है। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दस लाख से कम जनसंख्या के शहर चयनित किये जा सकते हैं, जिनमें जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगरीय परिवहन आदि जैसी योजनाओं का कार्य किया जा रहा है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले सर्वसमाज के गरीबों के उत्थान के लिए अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा उवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि से नगरों को चरणबद्ध तथा समयबद्ध ढंग से संतृप्त करने के उद्देश्य से 'मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना' तैयार की गयी है।

मुख्य नगरों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु आगरा, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर में बैराज निर्माण परियोजनाओं द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

"आदर्श नगर योजना" के तहत ऐसे नगरों में अवस्थापना सुविधायें प्रदान की जायेंगी, जो जे0एल0एन0यू0आर0एम0 व यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से वित्त पोषित नहीं हो पाये हैं तथा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है।

37-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सर्व-समाज के गरीबों के उत्थान हेतु चयनित शहरी क्षेत्रों में समस्त अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि से नगरों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से संतृप्त करने के उद्देश्य से "मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से गरीबों के लिए आवास एवं बस्तियों का विकास, माननीय कांशीराम जी सामुदायिक केन्द्र का निर्माण एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण तथा पर्यावरण सुधार आदि के कार्य क्रियान्वित कराये जा रहे हैं।

शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर नयी राज्य शहरी आवास नीति तैयार की जायेगी, जिसके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को आवास रोजगार सृजन एवं जीवन की गुणवत्ता में उत्थान हेतु विशेष प्राविधान किये जायेंगे।

नगरीकरण के निरन्तर बढ़ रहे दबाव के दृष्टिगत राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आवास नीतियों की संस्तुतियों के क्रम में नगरों की महायोजनाओं तथा भवन उपविधियों के अन्तर्गत जनसंख्या घनत्व एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) में वृद्धि/पुनर्निर्धारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रुप हाऊसिंग एवं बहुमंजिले निर्माण के प्रोत्साहन तथा समुचित रख-रखाव हेतु अपार्टमेन्ट ओनरशिप ऐक्ट अधिनियमित किया जायेगा।

38-नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

2007-08 में अब तक प्रदेश की मलिन बस्तियों में 5.47 लाख निवासियों को लाभान्वित किया गया तथा 2.92 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। दुर्बल आय वर्ग के लगभग एक लाख शुष्क शौचालय धारक भवन स्वामियों के घरों में जल प्रवाहित शौचालय अनुदान देकर परिवर्तित कराया जा रहा है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 14,982 शहरी निर्धनों को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया और 37,077 व्यक्तियों को स्वरोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलाया गया।

"अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें" योजना के अन्तर्गत 1.97 लाख अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्ती वासियों को लाभान्वित कराया गया है।

39-खाद्य एवं रसद विभाग

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राशन की दुकान पर परिवेक्षणीय अधिकारी द्वारा प्रतिमाह निर्धारित तिथियों में शिविर लगाकर बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के आवंटन में आरक्षित श्रेणियों की उचित दर की दुकानों के बैकलाग को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण किये जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

खाद्यान्न की कमी वाले सूखा एवं दैवी आपदा से प्रभावित बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित जनपदों में ''ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना'' लागू की गयी है। इस प्रकार उक्त जनपदों में कुल 500 ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्थापित किये गये हैं। इन बैंकों से प्रति बैंक 40-40 अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे परिवार सम्बद्ध किये गये हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा दी जानी अत्यन्त आवश्यक हो। ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना के अन्तर्गत 11,533 लाभार्थियों ने गेहूं प्राप्त किया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में धान खरीद के निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य 12.00 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष प्रदेश में 1 जनवरी, 2008 तक कुल 8,54,086 मीट्रिक टन रिकार्ड धान की खरीद की गयी है। प्रदेश में धान खरीद से उक्त तिथि तक 1,16,762 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश में कुल 5,34,216 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी जिसका कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में गेहूं की खरीद से 1,12,139 कृषक लाभान्वित हुए।

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उपभोक्ता फोरम तथा लखनऊ में एक अतिरिक्त पीठ सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन किया गया है।

40-लोक निर्माण विभाग

सरकार द्वारा अम्बेडकर ग्रामों के अपूर्ण/अधूरे सम्पर्क मार्गों को इस वर्ष पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कराने का लक्ष्य है। डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत इस वर्ष प्रत्येक विधान सभा से पांच-पांच ग्राम सभाएं चयनित की गई है तथा इस प्रकार कुल चयनित 1,900 ग्राम सभाओं के सभी राजस्व ग्रामों के सबसे बड़े मजरे एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सबसे बड़े मजरे को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष माह दिसम्बर, 2007 तक 2,375 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में 3,500 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने का लक्ष्य

है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 40 जनपदों में 2,526 कार्य स्वीकृत हैं। दिसम्बर, 2007 तक 1,385 कि0मी0 लम्बाई में 487 कार्य पूर्ण कर 575 बसावटों को जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 2,500 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के निर्माण/पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य हैं प्रदेश के शहरों में भी विकास कार्यों की आवश्यकता हेतु मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें अन्य लक्षित कार्यक्रमों सहित मार्गों के सुधार/पुनर्निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। वर्ष 2008-09 में इस योजनान्तर्गत प्रत्येक नगर निगम/नगरपालिका परिषद् में आठ-आठ वार्ड एवं प्रत्येक जनपद में एक-एक नगर पंचायत चयनित कर सम्पर्क मार्गों सहित अन्य लक्षित कार्यक्रमों से संतृप्त किये जायेंगे। वर्ष 2007-08 में राज्य योजना, राज्य सड़क निधि एवं केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रु0 906 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है जिससे 1,800 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य हैं 2008-09 में भी 2,000 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2008-09 में 145 सेतु निर्मित किया जाना लक्षित है। प्रदेश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना किये जाने हेतु निजी सहभागिता का उपयोग किया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है इसी परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी के बांये किनारे पर बलिया से नोएडा तक लगभग 900 कि0मी0 लम्बाई में आठ लेन के एक एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी सहभागिता (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए मोहांड तक, झांसी से कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-कुर्शीनगर तक, आगरा से कानपुर तक एवं बिजनौर से मुरादाबाद होते हुए फतेहगढ़ तक चार अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य भी निजी सहभागिता (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) के आधार पर किया जाएगा।

41-समाज कल्याण विभाग

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों हेतु शत प्रतिशत आच्छादन की व्यवस्था लागू है। वर्ष 2007-08 में इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन की धनराशि रुपये 150 से बढ़ाकर रुपये 300 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी कर दी गई है। वर्ष 2007-08 में लगभग 30 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 1,052.39 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है।

गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया/कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर रुपये 20,000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपये 160.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं सर्वांगीण उत्थान हेतु अनुसूचित जाति सब प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान के अर्न्तगत सहारनपुर एवं अम्बेडकर नगर में दो एलोपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित करने व एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ ही चिकित्सा की सभी विधाओं की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्सालयों की स्थापना के लिए प्राविधान किया गया है।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू कर दी गई है।

अत्याचार उत्पीडन योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता (छुआछूत) की भावना समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी हेतु रुपया 10,000 तथा बीमारी हेतु रुपया 2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उन्हें कक्षा 12 तक उच्चीकृत कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए उच्चीकृत नवनिर्मित आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ष 2008-09 में समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से आवश्यक प्राविधान किया जा रहा है। कोल जातियों के विकास हेतु एकीकृत कोल जाति विकास योजना आरम्भ की जा रही है। पूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के आश्रितों का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल्याण करना तथा समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करना, निराश्रित वृद्ध पूर्व सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना करना, शहीद सैनिकों की पत्नियों के माध्यम से पेट्रोल पम्पों का संचालन सरकार की प्राथमिकताओं में है।

42-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार शैक्षिक शासकीय विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं की भांति उन्हें अनुमन्य शर्तों एवं बढ़ी हुई दरों पर छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है। पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार देने के लिए 'ओ' लेविल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजना संचालित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2,000 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजन की बीमारी के इलाज हेतु योजना संचालित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। जिससे वर्ष 2008-09 में कुल 9,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

43-अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज विभाग

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी परम्परागत शैक्षिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सुदृढ़ करने तथा अल्पसंख्यकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के प्रभावी साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का गठन किया गया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

कक्षा एक से दस तक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। पूर्व दशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकरण किये जाने एवं धनराशि का स्थानान्तरण ई-बैकिंग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें छात्रवृत्ति की धनराशि का दो समान किश्तों में स्थानान्तरण एवं वितरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में 26,84,492 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने की योजना है जिसके अन्तर्गत मेडिकल/इंजीनियरिंग एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के मेधावी छात्र/छात्राओं को रु0 1000 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 300 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में 400 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

निर्धन/बेसहारा अभिभावकों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों को दो बेटियों की शादी हेतु रु0 10,000 प्रति पुत्री अनुदान दिये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 17,177 बेटियों की शादी हेतु व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है।

रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग योजना वर्ष 2007-08 में प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अभिभावकों के बच्चों को, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगने से कम अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु0 40,000 तथा शहरी क्षेत्र हेतु रु0 51,000 वार्षिक है, राज्य/राष्ट्र स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रु0 15,000 प्रति अभ्यर्थी दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2008-09 में प्रदेश स्तर पर 700 अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996 तक स्थायी मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 68 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

मेडिकल/इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों की व्यवसायिक परीक्षा में भाग लेने हेतु कोचिंग की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 100 छात्रों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में अल्पसंख्यकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उ0 प्र0 अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये

व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना परीक्षा पूर्ण कोचिंग योजना, टर्मलोन योजना, शैक्षिक ऋण योजना संचालित की जा रही है।

44-खेल विभाग

प्रदेश में विभिन्न खेल संघों एवं खेल प्रेमियों के सहयोग तथा उनके कार्य-कलापों का समन्वय करके प्रदेश में खेल का प्रसार एवं विकास किया गया है जिससे प्रदेश में खेलों के स्तर को सुधारने की दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में खेलों के प्रति उचित वातावरण तैयार करने, क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की स्थापना करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने एवं उनके लिये प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जा रही है।

प्रत्येक जनपद में कम से कम एक स्टेडियम तथा एक बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हाल बनाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में 56 स्टेडियम, 50 बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हाल, 26 तरणताल, 2 स्पोर्ट्स कालेज, 3 क्रीड़ा संकुल, 3 सिन्थेटिक हाकी एस्ट्रो टर्फ, 1 सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक, 6 सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट तथा 1 फिजियोथेरेपी केन्द्र निर्मित हो चुका है। इसके अतिरिक्त 10 स्टेडियम, 15 बहुउद्देश्यीय क्रीड़ाहाल तथा 6 तरणताल निर्माणाधीन है।

खिलाड़ियों तथा खेल संघों द्वारा विरोध किए जाने के कारण खेल संघों को रेगुलेट करने वाला अधिनियम निरस्त किया गया। माननीय कांशीराम अन्तर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना की गयी। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक धारकों को नकद पुरस्कार के सभी लम्बित मामलों के लिए धनराशि स्वीकृत कर वितरित करायी गयी। मान्यवर श्री कांशीराम जी की जन्म तिथि के अवसर पर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

45-युवा कल्याण विभाग

वर्ष 2008-09 में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, विकास एवं उपकरण, प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तीकरण, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, माननीय कांशीराम जन्म स्मृति समारोह आदि योजनाओं हेतु बजट प्राविधान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

46-आबकारी विभाग

उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई है। वर्ष 2007-08 की आबकारी नीति में जुलाई, 2007 से कर अपवंचन की संभावना पर प्रभावी रोक लगाने के लिये आसवनियों द्वारा उत्पादित देशी/विदेशी मदिरा को सी0एल0-2 एवं एफ0एल0-2/2ए/2बी के लाइसेंसिंग तक पहुंचाने एवं आसवनियों द्वारा निर्मित कुल उत्पादन पर

सभी देय आबकारी राजस्व प्रदेश शासन को प्राप्त कराने एवं लाभ अर्जन कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ संस्था को सी0एल0-1ए व एफ0एल0 1 बी अनुज्ञापन दिये गये, जिनके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत थोक अनुज्ञापन देशी/विदेशी मदिरा, बियर, वाइन, लो-अल्कोहल ब्रेवरीज आदि की आपूर्ति कराई जा रही है।

47-भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा विभिन्न सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्धन कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2007 तक रुपया 66.23 करोड़ व्यय कर 57,020 हेक्टेयर में प्रक्षेत्र विकास कार्य निष्पादित कराकर 18.92 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 2008-09 में 1,14,000 हेक्टेयर का लक्ष्य प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिस हेतु कार्यमद में 143 करोड़ 60 लाख 26 हजार रु0 की आवश्यकता है।

सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम प्रदेश के 15 जनपदों के 60 चयनित विकास खण्डों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2007-08 में 15,318 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित कर 7.83 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। वर्ष 2008-09 में 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

48-भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग

प्रदेश में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों के लिए निजी कम्पनियों को रिकोनेयसेन्स-परमिट निर्गत किये गये हैं। इनमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बहुमूल्य धातुओं एवं हीरे की खोज प्रमुख है। इसी प्रकार तेल की खोज के लिए भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पी0ई0एल0) स्वीकृत किये गये हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खनिज राजस्व प्राप्तियों के दुगना होने की सम्भावना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग को पुनर्गठित करते हुए संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

49-सार्वजनिक उद्यम

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासन की नीतियों को लागू करने में सार्वजनिक उद्यम विभाग की परामर्शीय भूमिका है जिसके क्रम में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगमों में सुधार लाने हेतु सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

50-संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहरों एवं परम्पराओं तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास में अपनी विभिन्न इकाइयों एवं योजनाओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लखनऊ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं जेल रोड स्थित माननीय कांशीराम जी स्मारक स्थल, 'कैनाल किनारे' माननीय कांशीराम जी स्मृति

उपवन तथा सामाजिक परिवर्तन स्थल स्थित 'गाइड बन्ध' पर मूर्तियों/कलाकृतियों की योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं। माननीय कांशीराम जी जन्म स्मृति समारोह पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं माननीय कांशीराम जी कला सम्मान पुरस्कार योजना भी प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 2008-09 में ग्यारहवीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन, सम्भागीय राज्य नाट्य समारोहों का आयोजन तथा बौद्ध संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से व्याख्यान माला एवं संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है। राज्य संग्रहालय लखनऊ, मथुरा व झांसी में वीथिकाओं का आधुनिकीकरण तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी के भवन निर्माण को पूर्ण किया जाना भी प्रस्तावित हैं अतिरिक्त प्राचीन धरोहरों की खोज और उनका अभिलेखीकरण एवं उनका रख-रखाव तथा बरेली में एक क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई गठित की जानी है। इसके साथ-साथ तहसील/जिला स्तर पर प्रेक्षागृहों एवं खुले मंचों का निर्माण तथा लखनऊ स्थित राज्य अभिलेखागार में शहीद स्मृति भवन का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

51-परिवहन विभाग

39 परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूरा किया जा चुका है और तीन अन्य कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण भी इसी वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में सभी परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की योजना है। स्मार्ट कार्ड वाहन रजिस्ट्रेशन तथा ड्राइविंग लाइसेंस, कम्प्यूटराइज्ड ब्रेवरीज युक्त चेकपोस्ट एवं विश्व स्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल योजनायें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर शीघ्र संचालित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सरकार प्रदेश की जनता को सस्ती, पर्याप्त, दक्ष एवं समन्वित सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कुशल बस सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष (2008-09) में 2,100 नई बसें क्रय किये जाने का लक्ष्य है।

52-पर्यटन विभाग

विविधतापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय-समय पर सम्पन्न होने वाले मेलों तथा महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

प्रदेश में पर्यटन का बहुआयामी विकास करने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन परिपथों की संरचना कर उनके अन्तर्गत पर्यटन विकास एवं प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम क्रियान्वित कराये जा रहे हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्याधिक महत्व रखने वाले स्थलों के पर्यटन विकास के लिए भी विशेष रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यटक स्थलों, पर्यटन सुविधाओं एवं पर्यटन गतिविधियों को राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर आधुनिकतम् प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रभावी रूप से प्रचारित-प्रसारित कराया जा रहा है।

53-बाह्य सहायतित परियोजना विभाग

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण एवं कृषि आदि विभागों की परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में स्वीकृत तीन परियोजनाओं, चार प्रस्तावित परियोजनाओं एवं प्रशासकीय विभागों द्वारा परियोजनायें तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

54-सूचना विभाग

प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद्' का पुनर्गठन किया गया है जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग का विकास हो सके एवं फिल्मों से जनित रोजगार के साधन सृजित हो सकें। नोएडा फिल्म सिटी में आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तर प्रदेश फिल्म अभिलेखागार की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

55-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान के क्षेत्र में किए गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को चयनित कर विज्ञान गौरव, विज्ञान रत्न, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, विज्ञान शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्रदान करने का कार्य किया जाता है। परिषद् में प्रदेश की बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु एक पेटेण्ट सूचना केन्द्र स्थापित है, जिसके द्वारा जागरुकता कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं।

ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का डाटाबेस तैयार करने सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में लगभग 700 गांवों हेतु कम्प्यूटरीकृत आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में वाटरशेड एटलस तैयार करने सम्बन्धी परियोजना पर भी कार्य सम्पादित किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-बाढ़ एवं सूखा से हुई क्षति का आकलन इस आशय से किया जा रहा है कि भविष्य में क्षति निम्नीकरण की दिशा में उपयोगी सूचनायें सृजित की जा सकें। जल समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल स्रोतों सम्बन्धी खोज कार्य के लिए बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों तथा मिर्जापुर एवं सोनभद्र में विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

56-वन विभाग

उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.06 प्रतिशत है। वनावरण एवं वृक्षावरण पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं एवं जलवायु को नियंत्रित रखते हैं। प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वन अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, औद्योगिक एवं पल्वुड वृक्षारोपण तथा अवनत वनों का सुदृढ़ीकरण योजनायें पहले से ही संचालित हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वृक्षारोपण विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गॉगेय क्षेत्र में वृहद् वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है। आपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत जनसहभागिता के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में हरितिमा विस्तार तथा वन चेतना केन्द्रों/वन पार्कों के उच्चीकृत का कार्य कराया जा रहा है। विन्ध्य व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांस रोपण योजना तथा पौधशाला प्रबन्धन की नई योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वृक्षारोपण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जन सामान्य के बीच जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से इस दिशा में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं/नागरिकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के लिए 'वृक्ष बन्धु' पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई है।

वन्य जीवों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन का कार्य सरकार की प्राथमिकता होगी। आर्द्र भूमि (वेट लैण्ड) संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि प्रवासी/स्थानीय पक्षियों के प्राकृतवास विनष्ट न हों।

वनों में अवैध कटान, अवैध शिकार तथा अवैध खनन रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

57-पर्यावरण विभाग

प्रदेश की व्यापक पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके निदान को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 30 वर्षों के कार्य एवं जन शक्ति नियोजन हेतु एक प्रॉसपेक्टिव प्लान तैयार कराया जायेगा।

ऐसे प्रसास किये जा रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग एवं स्थानीय निकाय द्वारा अपने प्रदूषित उत्प्रवाह/उत्सर्जन के शुद्धीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की प्रमुख नदियों, जलाशयों एवं झीलों की जल-गुणवत्ता के अनुश्रवण का कार्य भी किया जा रहा है।

58-स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों का पंजीकरण एवं उन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है।

सरकार निबन्धन व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, आधुनिक और सरल बनाने हेतु कटिबद्ध है। इस निमित्त विभाग के सदर कार्यालयों में एन0आई0सी0 के मार्गदर्शन में प्रेरणा साफ्टवेयर तैयार कराकर आंशिक कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जा चुका है वित्तीय वर्ष 2007-08 में निबन्धन लेखपत्रों की स्कैनिंग का कार्य भी प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष कम्प्यूटरीकण प्रक्रिया का विस्तार किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2007-08 में गाजियाबाद जिले के निबन्धन भवन का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित हैं वर्ष

2008-09 में अन्य छूटे हुए जिला मुख्यालयों में निबन्धन भवनों का निर्माण कराए जाने की योजना है।

59-मनोरंजन कर विभाग

मनोरंजन क्षेत्र में प्रगतिशीलता लाने के उद्देश्य से केबिल संचालकों तथा केबिल उपभोक्ताओं के विवादों तथा समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु प्रत्येक जिले में समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश के सिनेमाओं में विकलांगों के बाधा रहित आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। जनता को आधुनिक तकनीक से युक्त मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने तथा प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण करने वाले छविगृहों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू है।

2008-2009 में मनोरंजन कर विभाग की मुख्य प्राथमिकता बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, प्रदेश में आधुनिक तकनीक से युक्त अधिकाधिक मल्टीप्लेक्स संचालित कराने, डी0टी0एच0 को कर के दायरे में लाने तथा प्रदेश के सिनेमाओं में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन को अनुमति देने की है, जिससे एक ओर सिनेमा दर्शकों को उच्च गुणवत्ता की फिल्म देखने को मिलेगी वहीं बड़े शहरों में स्थित छविगृहों के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छविगृहों में एक ही समय में नयी फिल्मों का प्रदर्शन भी संभव हो सकेगा।

60-प्रशासनिक सुधार विभाग

जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि तहसील, जिला व मण्डल स्तर के अधिकारी अथवा किसी भी अन्य स्तर के अधिकारी रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य अपने-अपने कार्यालयों में बैठकर जनता की शिकायतों को सुनेंगे व उनका त्वरित निराकरण करेंगे।

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्रभावी ढंग से संवेदनशीलतापूर्वक निर्धारित समय सीमा में उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकांश विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय वेबसाइट पर नागरिक चार्टर लान्च कर दिये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग का गठन कर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 प्रख्यापित कर दी गयी है।

61-कार्मिक विभाग

आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरने का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 26,618 पदों को भरा जा चुका है।

सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जन जातियों/अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियों को यथास्थिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से भरने की व्यवस्था की गयी है।

निजी क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों आदि में सृजित कुल रोजगार का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा 10 प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।

संविधान में हुए 85वें संशोधन के आधार पर अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्रोन्नति के साथ पारिणामिक ज्येष्ठता भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार का मानना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे लोगों को जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के वर्तमान आरक्षण को प्रभावित किये बिना अतिरिक्त रूप से अनुसूचित जाति के लोगों की भांति आरक्षण दिया जाना चाहिये और इसके लिये भारतीय संविधान में संशोधन करते हुये इसे भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिये, ताकि यह स्थायी व्यवस्था हो जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध भी किया गया है।

62-सामान्य प्रशासन विभाग

जीवन रक्षा पदक प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा रु0 1.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। उक्त के साथ ही जीवन रक्षा पदकों की तीन श्रेणियों (1) जीवर रक्षा पदक, (2) उत्तम जीवन रक्षा पदक, (3) अति उत्तम रक्षा पदक के लिए क्रमशः रु0 1,000, 2000 एवं 5,000 की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

मा0 कांशीराम जी के जन्म दिवस 15 मार्च तथा गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती दिनांक 5 जनवरी, 2008 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

63-न्याय विभाग

भारतीय संविधान की उद्देशिका में संचित आदर्शों के अनुरूप प्रदेश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पूर्णतया संकल्पित है जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाये रखने का संकल्प भी स्वनिहित है। विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, समता, समानता एवं समतुल्यता प्रदत्त कराने तथा समस्त नागरिकों को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु भी राज्य सरकार सतत् प्रयासरत् है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश के 56 जनपदों में 71 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को विनिर्दिष्ट किया गया है।

गैंगस्टर ऐक्ट, 1986 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के निस्तारण हेतु नवसृजित 06 मण्डल मुख्यालयों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में सृजित विशेष न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत बरेली, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी है। 16 नये न्यायालयों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

64-नियोजन विभाग

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें कृषि की विकास दर 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण के लिये 11.5 प्रतिशत तथा सेवा सेक्टर के लिये 12.4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य सम्मिलित है।

मेरी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर रखा जाय, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। मेरी सरकार प्रदेश को चतुर्दिक विकास के रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने हेतु कटिबद्ध है एवं इसमें समस्त माननीय सदस्यों का सहयोग वांछित है।

माननीय सदस्यगण, [मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों व योजनाओं का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस सत्र में वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही कुछ विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिन्हें पारित करने हेतु आपका सहयोग वांछित होगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की खुशहाली व इसके चतुर्दिक विकास हेतु आप इस पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा सदन की गरिमा व पवित्रता को बनाये रखेंगे। अन्त में शुभकामनाओं के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये मैं आपका आह्वान करता हूं।

धन्यवाद।]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में विपक्ष (समाजवादी पार्टी) द्वारा उड़ाये गये गुब्बारों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हाजी अलीम-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न आ गया, बीच में ?

श्री हाजी अलीम-

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गुब्बारे उड़ाये गये थे, मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें एक्सप्लोसिव गैस होती है, इससे आग भी लग सकती है और आग लगती भी है क्यों यह गन्धक और दूसरे पदार्थों से बनाये जाते हैं मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिससे सारे लोगों को नुकसान होने का डर हो, अध्यक्ष जी, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कोई गुब्बारा अन्दर न आये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें, हम इस पर व्यवस्था बाद में दे देंगे।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये जाने के विरोध में श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, सदस्य विधान सभा (कांग्रेस पार्टी) द्वारा सदन की सदस्यता तथा कांग्रेस पार्टी से त्याग-पत्र

*श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इसलिये व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि 403 सदस्यों का यह माननीय सदन है, बहुत प्रतिष्ठित यह हमारी विधान सभा है। मुझे अपने सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेना है क्योंकि मैंने यह विचार बनाया है।

(कुछ सदस्यों के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया-

कृपया सुन लें, यह स्थिति आपकी भी कभी आ सकती है, जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मान्यवर, मैं इस सदन का सदस्य हूं और कांग्रेस से चुनाव जीतकर आया था। मैंने अपना इस्तीफा, त्याग-पत्र प्रमुख सचिव महोदय को दे दिया है जो आप तक पहुंचेगा लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों ने आपसे मौका मांगा होगा, बोलने के लिये और आपने समय भी दिया होगा लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली था कि मुझे वह समय नहीं प्राप्त हो पाया। तो सदन छोड़ने से पहले 2 मिनट का समय मैं अपनी बातों के माध्यम से लेना चाहूंगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पूरे माननीय सदन का ध्यान, जिनको कष्ट भी हुआ हो, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जब हम लोग भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की स्थिति की कल्पना करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश और इस उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की शिरमौर जनता है और इसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। मान्यवर, केन्द्र सरकार को हमारे बजट का एक अंश जाता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का चुनाव हुआ था, पूरे प्रदेश को लाभ मिलना था अगर केन्द्र सरकार माननीय बहन मायावती जी के उस 80 हजार करोड़ के पैकेज को स्वीकार कर लेती तो शायद यह प्रदेश हरा-भरा होकर कहीं ज्यादा समर्थ होता और मैं इधर इसलिये बैठ गया हूं कि कहीं कोई व्हिप नहीं जारी है, न लाबी डिवीजन हुआ है, मैं अपने स्वतंत्र मन से बैठा हूं, मैं अपने स्वतंत्र मन से इस तरफ बैठा हुआ हूं, 80 हजार करोड़ के पैकेज की जो मांग थी और लगातार वोट लेने के बाद भी जो प्रदेश की उपेक्षा हो रही है, मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं बहन मायावती जी को साधुवाद देना चाहूंगा, आप तो कुछ दे नहीं सके और न आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं, आप के युवराज एक दलित की खटिया पर एक दिन पहुंच जाते हैं तो आप 5 दिन प्रेस में बात करते हैं कि इसको छाप देना और बहन मायावती जी का यह है कि जब दलित अपनी चारपाई पर बैठे, हमारी चारपाई पर बैठे, तो उत्तर प्रदेश का बखान करे। आपका पैकेज यदि प्राप्त नहीं होगा तो अल्प संसाधनों में इस उत्तर प्रदेश का विकास बाधित होगा ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, यदि उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी जरा भी राय अच्छी होती तो उस 80 हजार करोड़ के पैकेज में से चाहे 20 हजार करोड़ की पहली किश्त ही उत्तर प्रदेश को प्राप्त होती।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया-

मान्यवर, यह जिन्दगीभर भाषण दिये हैं। मैं बाहर डरता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उधर इशारा मत कीजिए। आप उधर हाथ करके इशारा मत कीजिए। आप चाहते क्या हैं, आप बात बताइये ? आप भाषण नहीं बल्कि व्यवस्था पर बोलिये।

श्री अजय प्रताप सिह उर्फ लल्ला भइया-

मान्यवर, निवेदन है कि सदन व्यवस्थित कराने की कृपा करें। मान्यवर, जिस सदन में कांग्रेस विधान मण्डल में इतने [×× ×] लोग हों, जो अपने साथी सदस्य की बात न सुन सकें, मैं सदन से त्याग-पत्र देता हूं।

नोट :- [×× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं ?

श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया-

मान्यवर, मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं, सदन का त्याग कर रहा हूं। मैं इस समय इस सदन से और कांग्रेस से दोनों से इस्तीफा दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका इस्तीफा स्वीकार करता हूं।

(श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया सदन से बाहर चले गये)

(श्री प्रमोद तिवारी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि हमारी नियमावली में इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य सदन की सदस्यता से इस्तीफा देता है तो आप उसको उसकी बात कहने का अवसर देंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियमों के तहत आपसे बात रखने का अवसर मांगा तो आपने अवसर दिया। तो अब माननीय प्रमोद तिवारी जी किन नियमों के तहत खड़े हुए हैं ?

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई सदस्य नियमानुसार त्याग-पत्र देता है तो उसे बोलने का अवसर मिलेगा। जहां तक मुझे जानकारी है कि कोई सदस्य आक्षेप नहीं लगा सकता और किसी भी दल या व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा सकता और उनके भाषण में सिर्फ आक्षेप के अलावा कुछ नहीं था इसलिये इनके भाषण का एक शब्द भी ग्राह्य नहीं है और विधान सभा के लिये यह कोई नई बात नहीं है। जब कभी आपराधिक इतिहास के लोग चुनकर आते हैं तो सत्तारूढ़ दल का दबाव पड़ता है और सत्तारूढ़ दल लोगों को अपराधियों से मुक्त करने का ठेका लेता है और मान्यवर, यह कोई हमारे साथ ही नहीं हुआ है। इनके साथ भी हो चुका है। इनके कई लोग जब पहले विपक्ष में थे, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्था पर कहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो आक्षेपात्मक बात कही गयी है वह निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह दिखवा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक हमारे साथी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और वह इनके साथ गये हैं। यह तो इनके साथ भी हुआ है। इनके बहुत से लोग भी गये हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक आपराधिक इतिहास के व्यक्ति के द्वारा सच्चाई का सामना न कर पाने के लिये यह पलायन किया गया है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-36 सन्, 2007) †

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-36 सन्, 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-37 सन्, 2007) †

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-37 सन्, 2007) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1, सन्, 2008)†

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1, सन्, 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

सदन के पटल पर रखे गये अध्यादेशों की प्रतियां मा0 सदस्यों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम इतना तो शिष्टाचार होता कि इनसे सम्बन्धित विवरण हम लोगों के पिजन होल में पहुंच जाते, पटल पर रखने से पहले यह हम लोगों की जानकारी में होना चाहिए, मान्यवर, कि क्या आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है। एक भी अध्यादेश वहां पर

---

† छापे नहीं गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है, मैं अभी देख कर आया हूं पिजन होल में। मान्यवर, यह क्या है ? सदन का माखौल बनाने की क्या जरूरत थी ? मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। पटल पर रख दिया जाये और यहां पर जानकारी कुछ है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, प्रमुख सचिव ने बताया है कि पिजन होल में रखवा दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे साथ चलें, भेज दीजिए किसी कर्मचारी को हम वहीं से आ रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं है और आपके ही स्टाफ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मैंने भेजा था देखने के लिए उसी ने आकर मुझे बताया कि वहां पर नहीं है। मान्यवर, ये ताकीद भी करें इनको, हिदायद भी करें इनको और इतना भी आग्रह कर लें कि आपकी हिदायत का पालन भी कर लें मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की विद्वता पर प्रश्नचिन्ह लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, केवल विद्वता के कारण ही काम चल रहा है यहां पर लेकिन हां कुछ फार्मेलिटी तो है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। अब मद संख्या-06 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2007[†]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या-2886/79सं-1-2007-77सं-2005, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(मद संख्या-07 पुकारे जाने पर)

तीन माह से अधिक समय से विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी विधेयक के पारण के लिये और किसी विधेयक को पारित होने के लिये मान्यवर, संविधान में व्यवस्था है और तद्नुसार हमारी नियमावली में भी व्यवस्था है कि दोनों सदनों में जहां दो सदन हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहां विधान सभा भी है

[†] छापी नहीं गयी।

और विधान परिषद् भी है, दोनों सदनों में इसका पारित होना अनिवार्य है, पारित न होने की स्थिति में, अगर किसी एक सदन में नहीं पारित होता है तो उसके लिये प्राविधान बनाये गये हैं और वह प्राविधान मान्यवर, 1950 में जिसका उल्लेख कार्य-सूची में भी किया गया है, इसमें उल्लेख है मान्यवर, लेकिन एक विशिष्ट स्थिति यह है कि श्रीमन् कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यू0 पी0 कोका के विधेयक का जो पारण हुआ उसके बाद यह विधान परिषद् को 06 नवम्बर को प्रेषित हुआ, 6 नवम्बर, 2007 को प्रेषित होने के बाद श्रीमन् यह वहां प्रवर समिति को चला गया और प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के बाद श्रीमन् प्रवर समिति की कोई बैठक ही नहीं हुई, प्रवर समिति की बैठक किये बिना अगर इस तीन महीने के पीरियड के समाप्त हो जाने का अधार लेकर दोबारा यहां उसको सदन में रखा जायेगा तो श्रीमन् संविधान के इस प्राविधान का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा कि किसी विधेयक के पारित होने और उसके कानून/विधान बनने के लिये दोनों सदनों में उसका जाना आवश्यक है। प्रवर समिति का अगर चला गया तो प्रवर समिति द्वारा खारिज होता प्रवर समिति द्वारा अस्वीकार होता, प्रवर समिति द्वारा संशोधित होता, कोई न कोई बात होनी चाहिए लेकिन मान्यवर, इन स्थितियों में जब प्रवर समिति की कोई बैठक ही विधान परिषद् में नही हुई तो मान्यवर, किसी भी हालत में इसको दुबारा उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ले आया जाना उचित नहीं है। नियमों के अन्तर्गत साधारण पाठ से सम्बन्धित इंटरप्रिटेशन के जो तीन रूल्स हैं-लिटरल इन्टरप्रिटेशन, गोल्डेन रूल आफ इंटरप्रिटेशन और मिसचिफ रूल आफ इंटरप्रिटेशन यह किसी भी कानून की व्याख्या के लिये नियम बनाये गये हैं। अगर उसके शाब्दिक पाठ से कोई बात निकलती हो, संविधान के मूल उद्देश्य की अवहेलना होती हो, नियमावली की अवहेलना होती हो, उच्च सदन का अवमान होता हो और उसके अर्थहीन हो जाने की परिस्थितियां उत्पन्न होती हों तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी हालत में दुबारा प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सदन में इसके बारे में सूचित करना उपयुक्त नहीं है। इसके उपरान्त इसे कल या परसों की कार्य-सूची में तृतीय पाठ के लिये नहीं लाया जाना चाहिये। मान्यवर, इसमें कोई औपचारिक विरोध की बात नहीं है इससे संविधानिक अवमानना की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए इस पर दुबारा की कोई बात नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, यह जो यू0पी0 कोका कानून की बात है, यह कानून उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मान्यवर, इसमें होगा क्या एक वर्ग विशेष के लोगों को चिन्हित करके उन पर फर्जी मुकदमें लगाये जायेंगे। इसलिए आप किसी भी हालत में इसकी अनुमति न दें कि यह सदन के पटल पर पुनः रखा जाये। यह हमारा अनुरोध है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब बहुत विद्वान सदस्य हैं। लेकिन कभी-कभी अपनी विद्वता को घुमाने का प्रयास करते हैं। संविधान की किताब हमारे हाथ में है। इसके अनुच्छेद 197 के भाग-1 में जो वर्णित है उसको पढ़े दे रहा हूं।

"197-धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निबन्धन (1) यदि विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद् को पारेषित किये जाने के पश्चात् -

(क) विधान परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, या

(ख) विधान परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, तीन मास से अधिक बीत गए हैं, या

(ग) विधान परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती है तो विधान सभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चात्वर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना यदि कोई हों, जो विधान परिषद् ने किए हैं, सुझाव हैं, या जिनसे विधान परिषद् सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद् को पारेषित कर सकेगी।"

मान्यवर, इसमें दोनों स्थितियां भिन्न हैं या तो विधान परिषद् उसे अस्वीकार करती है या तीन मास से अधिक बीत गए हों। यहां से पारित किया गया और विधान परिषद् से उसे लम्बित रहते हुए तीन मास से अधिक का समय बीत गया है। वहां वह किस स्थिति में है मान्यवर, इस सदन के माध्यम से हम उसकी नोटिस नहीं ले सकते हैं। तीन मास से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत विधान सभा के पटल पर पुनः रखने की सूचना दी जा सकती है। यह पूरी तरह संविधानिक कार्यवाही है।

मान्यवर, जहां तक उस विधेयक का सवाल है, माननीय चौधरी साहब पता नहीं क्यों हमेशा किन्हीं न किन्हीं आशंकाओं के प्रति व्याकुल रहते हैं। यह कानून अपराधियों के विरुद्ध जरूर है। यह किसी धर्म और जाति के विरोध में नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो बहन मायावती जी के नेतृत्व में बनी है, हर जाति, धर्म और हर वर्ग के प्रति समान रूप से व्यवहार करती है और उनके हितों के लिये काम करती है। इसलिए इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अपराधियों को डर जरूर है। मान्यवर, अपराधियों की वकालत करने वाले लोग किसी न किसी तरह से इस प्रकार की समस्यायें उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस कानून के बनने के बाद उसका इस्तेमाल किस पर होगा यह सब जानते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपराधियों पर करेंगे, बुरे लोगों पर करेंगे। ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन जो बिन्दु माननीय अम्बिका चौधरी जी ने उठाया है वह बिल्कुल अलग है। यह नियम संगत है या नहीं है इस पर आपकी राय चाहते हैं।

मान्यवर, किसी भी प्रदेश की विधान सभा पार्लियामेंट की शैडो कहलाती है, उसकी परछाई कहलाती है। जो पार्लियामेंट में होता है वही हमारी विधान सभाओं में काम होता है। मान्यवर, यह कोई पढ़ी-लिखी बात नहीं है, बहुत सी बातें परम्पराओं और व्यवस्थाओं से चलती है। हमारे संविधान की खूबी यही है कि वह लिखित भी है और कनवेशनल भी है। मान्यवर, संसद में भी जो बिल पारित हो जाता है उसी को राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है बिल पहले लोअर हाउस में उसके बाद अपर हाउस में अलावा उनके जो मनीबिल हैं। अदर दैन मनीबिल अगर पारित नहीं हुए हैं तो 3 महीने का समय इसके लिए है। 3 महीने के बाद उसको लोअर हाउस में फिर लाया जा सकता है और दुबारा जब वह लोअर हाउस से पारित होकर जायेगा तब वह सीधे ही राष्ट्रपति जी के पास चला जायेगा। राष्ट्रपति जी अगर एक बार मंजूरी नहीं देते हैं तो वापिस आयेगा, दुबारा डिसकस होगा अगर इसमें कोई संशोधन करना चाहे संसद तो संशोधन करेगी, राष्ट्रपति जी के पास फिर जायेगा और तब उन्हें उसे साइन करना पड़ेगा ऐसा प्राविधान है और ऐसा सभी जानते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा वह बात सत्य है लेकिन आधा सत्य है जो कहा लेकिन यहां प्रकरण दूसरा है चूंकि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया था और उसे अपनी रिपोर्ट देना थी और प्रवर समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है लिहाजा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और जो नियम आपने बताया है जैसा मैंने कहा कि यह अर्द्धसत्य है बात उतनी सही है लेकिन चूंकि वहां से बिलकुल खारिज नहीं हुआ है बल्कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया अभी प्रवर समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। ऐसे में जब कि प्रवर समिति की कोई बैठक न हुई हो सदन में विधान सभा में उसे लाया जाना उचित नहीं है। इस पर भी आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो बाते आवश्यक हैं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि विधान परिषद् में क्या हुआ ? यह बहुत गैर जिम्मेदारी भरा वक्तव्य है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने कहा कि हम संज्ञान नहीं ले सकते।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक मिनट आप सुन लें, आप कह लीजिएगा।

श्रीमन्, एक विधेयक के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह वक्तव्य कि इनको पता ही नहीं है कि विधान परिषद् में क्या हुआ, मान्यवर, यह बहुत गम्भीर है और मैं इसकी सूचना आपको देना चाहता हूं कि यह विधेयक जब इस सदन से पारित हो करके 6 नवम्बर, 2007 को प्रेषित हुआ तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ और प्रवर समिति की कोई बैठक किये बिना तीन महीने का समय बीत जाने के प्राविधान

को आर्टिकिल 174 और हमारी कार्य-संचालन नियमावली के नियम 150 का आधार ले करके इस तीन महीने का पीरिएड बीत जाने के बाद आप कह रहे हैं इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन के बजाय उसमें गोल्डेन रूल आफ इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए और संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल इसके शब्दशः पाठ के कारण अगर दूसरी परिस्थिति पैदा होती है तो आपको इसकी अनुमति नहीं देना चाहिए। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, अब जितना माननीय आजम खां साहब और चौधरी साहब ने रख दिये हैं यह जवाब सवाल कहां हो रहा है ? आपने एक व्यवस्था उठाया था कि यह पटल पर नहीं रखा जा सकता उन्होंने यह दृष्टांत दिये हैं और अपनी बात कही है तो अब कहां रह जाता है। हुकुम सिंह जी अपनी बात कहें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तकनीकी आधार पर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह विधेयक सामान्य नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विधेयक है कोई मामूली विधेयक नहीं है और अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध, मान्यवर, अगर पिछले 6 और 7 महीने का इतिहास देख लें गुण्डा ऐक्ट भी अपराधियों के विरुद्ध होता है, गैंगस्टर ऐक्ट भी अपराधियों के विरुद्ध होता है लेकिन जिस तरह से इन दोनों अधिनियमों का दुरुपयोग किया गया है और अगर यह पास हो जाता है तो यह गारन्टी कुछ नहीं है कि किसके खिलाफ क्या होगा ? वह विधेयक आज भी केवल लम्बित नहीं है बल्कि वह विधेयक परिषद् में प्रक्रिया में है। मान्यवर, यह प्रोसीजरल मैटर है। अगर हम वहां पर पेश कर दें और पेश करने के बाद कोई कार्रवाई न हो, लम्बित रहे, तब तो तीन महीने की अवधि की बात आती है लेकिन परिषद् की भी अपनी एक प्रक्रिया है, प्रवर समिति को उन्होंने सुपुर्द किया हुआ है। प्रवर समिति के अध्यक्ष भारसाधक मंत्री होते हैं और अगर मंत्री मीटिंग को न बुलाये तो यह परम्पराओं का दुरुपयोग है या नहीं है, यह नियमों का दुरुपयोग है या नहीं है ? क्या आज इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि जो सम्बन्धित विभाग के मंत्री हैं, वह बतायें इस सदन को कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बावजूद आज तक प्रवर समिति की बैठक क्यों नहीं हुई ? मंत्री केवल अपर हाउस के लिए उत्तरदायी नहीं है, मंत्री का दायित्व हमारे लिए भी है। हम प्रतिनिधि सीधे-सीधे जनता से चुनकर आये हैं तो क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम मंत्री जी से सीधे-सीधे पूछ सकें कि प्रवर समिति के सुपुर्द होने के बाद आप उसकी बैठक क्यों नहीं बुलाते। तो मान्यवर, यह सारे प्रासेज का दुरुपयोग है या नहीं है ? इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख सचिव के सूचित करने से पहले आप इसका संज्ञान लें, मंत्री बतायें कि उन्होंने सदन की भावनाओं का

उल्लंघन क्यों किया, क्यों नहीं उन्होंने भावनाओं के अनुरूप मीटिंग बुलायी, क्यों नहीं विचार हुआ ? अच्छा होता कि वह संशोधन कर देते, संशोधन करने के बाद सदन को अधिकार है कि वह उस संशोधन को स्वीकार करे या न करे, या दोबारा पारित कर दे। लेकिन जहां पर सरकार की ओर से ही जानबूझ करके उसे लम्बित रखा जाये तो इसमें सदन की तो कोई गलती नहीं है, सदन ने तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, गलती जो कुछ भी है वह सरकार की ओर से है, अब आखिर सरकार की गलती की अपेक्षा कब तक करते रहेंगे। आज सदन में खड़े होकर निश्चित रूप से मेरा आरोप है, आप मानें या कुछ भी मानें लेकिन यह वेदना मेरे मन की जरूर है कि जब मंत्री लोग और सरकार भी जानबूझ करके सारी व्यवस्थाओं को चौपट करने में लग जायें तो हमारे अधिकारों को संरक्षण कहां मिलेगा ? यह हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि प्रवर समिति की बैठक नहीं हुई। मान्यवर, 05 नवम्बर को यह इस सदन द्वारा पारित हुआ था, उसके बाद यह विधान परिषद् को प्रेषित किया गया, विधान परिषद् ने उसे प्रवर समिति को भेजा और प्रवर समिति ने उस पर चर्चा की, बैठकें की और बैठक में जो संशोधन आया उसको प्रवर समिति ने स्वीकार करके विधान परिषद् को फिर से भेजा और विधान परिषद् को उस पर विचार करके संशोधन को या तो अस्वीकार करना था या उसे स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन परिषद् में केवल उसे रोके रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुमत का सहारा लेकर, एक प्रतिवेदन आने के बाद दोबारा उसे प्रवर समिति को भेजने का काम किया गया तो मान्यवर, क्या इसका कोई अन्त हैं प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर उसे विधान परिषद् में पेश किया गया। मान्यवर, जहां तक तथ्य है वह यह है, इसलिए मा0 हुकुम सिंह जी का यह कहना कि प्रवर समिति की बैठक ही नहीं बुलायी गयी, यह उचित नहीं है। मान्यवर, बैठक बुलायी गयी, बैठक ने प्रतिवेदन दिया, प्रतिवेदन को स्वीकार करके विधान परिषद् को फिर से प्रेषित किया गया और विधान परिषद् में समाजवादी पार्टी ने बहुमत का सहारा ले करके केवल लटकाये रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसे दोबारा प्रवर समिति को भेजने का काम किया गया तो मान्यवर, इसलिए यह कहना कि प्रवर समिति की बैठक नहीं हुई है, यह कहना उचित नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पटल पर रखा जा रहा है यह नियम के अनुसार सही है, यह संविधान के अनुसार उचित है और किसी प्रकार से लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, उस पर एक बार फिर से विचार कर लें। मान्यवर, मेरे ख्याल से इस बहस को बढ़ाने की आपकी मंशा नहीं है। लेकिन बार-बार आपने यह कहा है कि विधान परिषद् के सदस्यों ने अपने बहुमत के आधार पर, मान्यवर, अगर किसी

सदन के बहुमत पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री इस प्रकार से बोलेंगे कि बहुमत के आधार पर जाहिर है आज आपकी सरकार बहुमत के आधार पर है। यहां जितने निर्णय आप लेंगे बहुमत के आधार पर लेंगे, अगर बहुमत का आधार कटाक्ष का कारण बनेगा, अगर बहुमत के आधार पर टिप्पणी होगी आज की सरकार और विधान परिषद् के निर्णयों को इसलिए लागू नहीं करेगी कि उसे बहुमत का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मान्यवर, इस असंवैधानिक भाषा के लिए इस कानून के खिलाफ भाषा के लिए और मान्यवर, प्रदेश की तमाम जनता के एहसास के खिलाफ भाषण करने के लिए मैं और मेरा दल विधान सभा का बहिष्कार करता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह उच्च सदन की अवमानना है।

(श्री मोहम्मद आज़म खां के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिष्कार कर गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप विद्वान हैं, यह जानते हैं कि दूसरे सदन की, की गयी कार्यवाही का संज्ञान इस सदन में नहीं लिया जा सकता। विधान परिषद् की प्रवर समिति की बैठक हुई या नहीं हुई इससे विधान सभा का सम्बन्ध नहीं है और न ही संविधान के अनुच्छेद 197 का प्राविधान इससे प्रभावित होता है। अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारेषित किया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में

अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेशा विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी

दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का तैंतालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधन सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का चौवालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का पैंतालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः

पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का छियालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से असहमत होते हुए उसे पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का सैंतालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 06 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का अड़तालीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में पारित किया था और

जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 की बैठक में, उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का उन्चासवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जनवरी, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 जनवरी, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2008 का पहला अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 एवं मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 फरवरी, 2008 की बैठक में विधान सभा में दिनांक 08 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 11, 18 तथा 21 फरवरी, 2008 को सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 12 फरवरी, 2008 को नियम-56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।

3-दिनांक 13 फरवरी, 2008 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

4-दिनांक 13, 14 तथा 15 फरवरी, 2008 को नियम-56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

5-दिनांक 15 तथा 22 फरवरी, 2008 को असरकारी दिवस (आधा-आधा दिन) न हों।

6-दिनांक 8 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2008

08 शुक्रवार	**1-11.00 बजे पूर्वाह्न** राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण। **2-12.30 बजे अपराह्न** (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।
09 शनिवार 10 रविवार 11 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
12 मंगलवार	**1-11.00 बजे पूर्वाह्न** (1) वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (2) वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 3-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
13 बुधवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
14 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
15 शुक्रवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2- विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार 18 सोमवार	बैठक नहीं होगी।

19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
21 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
22 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
01 शनिवार 02 रविवार	बैठक नहीं होगी।
03 सोमवार 04 मंगलवार 05 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
06 गुरुवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
07 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
08 शनिवार 09 रविवार	बैठक नहीं होगी।
10 सोमवार 11 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
12 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2-3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
13 गुरुवार	विधायी कार्य।
14 शुक्रवार	असरकारी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा मण्डप, लखनऊ में पूर्वाह्न 11 बजे विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय प्रतिपक्ष के कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा गैस भरे गुब्बारे सदन में छोड़ने तथा फोड़ने की हुई ऐतिहासिक घटना की जांच गृह विभाग को सौंपे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज पूर्वाह्न 11.00 बजे महामहिम श्री राज्यपाल के विधान सभा मण्डप, लखनऊ में विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को अभिभाषण के समय प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने गैस भरे गुब्बारे सदन में छोड़े और उन्हें फोड़े। विधान सभा के इतिहास में यह पहली घटना है कि जब सभा मण्डप में गैस भरे हुए गुब्बारे लाये गये। गैस एक ज्वलनशीन पदार्थ है और सदन के सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से इस पर रोक लगायी जानी आवश्यक है। इसलिए मैं इसकी जांच का कार्य गृह विभाग को सौंपता हूं। वे यथाशीघ्र इसकी जांच कराकर मुझे आख्या भिजवायें।

दिनांक 8 फरवरी, 2008 को विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय गैस भरे गुब्बारे सदन में छोड़ने तथा फोड़े जाने की घटना पर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर मा0 सदस्यों की व्यक्तिगत तलाशी लिये जाने तथा सचिवालय परिसर के अनुरूप सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 फरवरी, 2008 को विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधित किया गया था। भाषण प्रारम्भ होते ही सदन के अन्दर गैस भरे गुब्बारे छोड़े गये। इसके अतिरिक्त कुछ गुब्बारे फोड़े गये तथा बैनर इत्यादि दिखाये गये। कुछ माननीय सदस्यगण वेल के अन्दर भी घुस आये और महामहिम श्री राज्यपाल की ओर गुब्बारे इत्यादि फेंके गये। यह एक अप्रत्याशित घटना थी तथा सदन में इस प्रकार का कृत्य पहली बार हुआ। यह न केवल महामहिम श्री राज्यपाल तथा सदन की गरिमा के प्रतिकूल है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी गम्भीर और संवेदनशील घटना है। यह आवश्यक हो गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का कृत्य भविष्य में न हो इसलिए सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाये जायं तथा

आवश्यकता पड़ने पर माननीय सदस्यगणों की व्यक्तिगत रूप से तलाशी भी ली जा सकती है। सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था सचिवालय के अनुरूप हो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन कर दी जाय। कृपया आदेश निर्गत कर अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008[†]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या-15

श्री लालजी वर्मा-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 12 फरवरी, 2008 को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 25 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2008 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 8 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

[†] दि0 20-03-08 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 16 विधान सभा (22)-29-4-08-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।